

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2013—श्रावण 25, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. ई.-5-891-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री भास्कर लक्ष्यकार, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर को दिनांक 15 से 19 जुलाई, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्ष्यकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्ष्यकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्ष्यकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. ई.-5-411-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री अजय नाथ, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग को दिनांक 24 जून से 10 जुलाई, 2013 तक सत्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-667-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., तत्का. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 5 से 14 जून, 2013 तक दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-687-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री नीतेश व्यास, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 9, 10, 11 अगस्त, 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-688-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री संजीव कुमार झा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 24 से 31 अगस्त, 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार झा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव कुमार झा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव कुमार झा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-794-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रघुराज एम. आर. आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 3 से 5 जून, 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-845-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएएस., अपर आयुक्त उच्चन संभाग को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 जून से 22 जून, 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त उच्चन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-853-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एन. बी. एस. राजपूत, आयएएस., कलेक्टर जिला मुरैना को दिनांक 25 से 29 जुलाई, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एन. बी. एस. राजपूत की अवकाश अवधि में श्री आशीष गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर (विकास) मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एन. बी. एस. राजपूत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एन. बी. एस. राजपूत द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष गुप्ता कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एन. बी. एस. राजपूत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. बी. एस. राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-205-2013-5-एक.—श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, भाप्रसे (2001), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई.-5-675-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएएस., सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 अगस्त, 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-223-2013-5-एक.—श्री जॉन किंगसली ए. आर. भाप्रसे (2004), मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा-सह-संचालक, पंचायती राज को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई.-5-832-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., सचिव “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15 से 19 जुलाई, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. ई.-1-330-2012-5-एक.—श्री डी. के. सामन्तराय, भाप्रसे (1982) अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवायें, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत फूड सेफ्टी एण्ड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. एफ 23-11-2013-पच्चीस-4.—राज्य शासन एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री ठाकुरदास नागवंशी, माननीय विधायक पिपरिया को जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। अतः पुनः एक वर्ष के लिये श्री ठाकुर दास नागवंशी, मान. विधायक पिपरिया को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीय, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 16), राज्य शासन श्री सुनील चौधरी पिता श्री लालू सिंह को मध्यप्रदेश निमत्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला झुंझुनू (राजस्थान) है। उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1986 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2013

फा. क्र. 1(बी)02-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंच्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2004 के द्वारा श्री देवीसिंह राजपूत शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दमोह को नियुक्त किया गया था।

श्री देवीसिंह राजपूत, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दमोह की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स-81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री प्रवीण गर्ग, तत्कालीन आयुक्त-सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री मनोहर अगनानी, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्द्रेल, उपसचिव,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2013

शुद्धि पत्र

क्र. एफ 3-183-2012-बत्तीस.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-183-2012-बत्तीस मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 जो कि दिनांक 14 सितम्बर 2012 से प्रकाशित कर लागू किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 एवं 16 में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ कार्यालय का नाम तथा गठित समिति में सदस्य सचिव के पदनाम में संशोधन एतद्वारा शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है।

- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 विकास योजना/परिक्षेत्रिक में उपांतरण में उपनियम 4(क) (ख) (ग) (घ) एवं उप नियम (5) में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ (व्ही. पी. एस.) के स्थान पर “स्टेट इन्स्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग” प्रस्थापित किया जाता है।
- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के उपनियम (5) के क्रमांक 6 एवं नियम 16 के उपनियम (2) में गठित समिति में क्रमांक-7 पर परियोजना संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के स्थान पर “संचालक समन्वय इन्स्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग” प्रस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव,

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. एफ (4)11-2007-चार-अड़तासील.—राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पद (वेतनबैंड 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है :—

- (1) श्री बी. आर. शर्मा (सामान्य)
- (2) श्री महेश कुमार राजोरिया (अनुसूचित जाति)

2. श्री शर्मा की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर वाद क्रमांक 25466/2003 एवं 232/2005 के अध्ययीन रहेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 865-एफ (4)11-2007-चार-अड़तालीस.—श्री बी. आर. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरान्त उन्हें उप संचालक, संसदीय विद्यापीठ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। जिसके फलस्वरूप अवर सचिव का एक पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया है।

(2) श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष से अधिक रहने की संभावना है। मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 की कंडिका 6(3) में एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने का उल्लेख है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई 2013 में अनुशासित प्रतीक्षा सूची से श्री शर्मा की संसदीय विद्यापीठ में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप अवर सचिव का पद रिक्त हो जाने पर श्री रविनीश तिवारी, निजी सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के अस्थायी रिक्त पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

(3) अतः राज्य शासन, श्री रविनीश तिवारी, निजी सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के पद (वेतनबैंड 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है।

(4) यह पदोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा श्री शर्मा के संसदीय कार्य विभाग में अवर सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर श्री तिवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(5) अबर सचिव की स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध होने तक श्री तिवारी का नाम निजी सचिव की वरिष्ठता सूची में यथावत् रहेगा।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि उर्पयुक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. एफ (4)76-02-एक-अड़तालीस.—राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी के पद (वेतनबैंड 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है :—

- (1) श्री रविन्द्र महाड़िक
- (2) श्री शिव कुमार द्विवेदी

2. प्रमाणित किया जाता है उर्पयुक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, उपसचिव।

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 10-10-2010-तैतीस.—मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 9 अप्रैल 2013 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन

एतद्वारा निम्न क्षेत्रों को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित करता है :—

क्र.	विशेष पर्यटन क्षेत्र	जिला	विशेष पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सलकनपुर	सीहोर	तहसील-बुदनी, रहटी, नसरुल्लांगंज
2	चित्रकूट	सतना	तहसील-मझगवां
3	पन्ना	पन्ना	तहसील-पन्ना, पवई, गुन्नौर, शाहनगर, रैपुरा।
4	चोरल	इंदौर	तहसील-(डॉ. अम्बेडकर नगर)महू
5	महेश्वर	खरगोन	तहसील-महेश्वर, कसरावद
6	अमरकंटक	अनूपपुर	तहसील-पुष्पराजगढ़ (राजेन्द्र ग्राम).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव।

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. एफ-1(ए)399-1988-ब-2-दो.—श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश, 17, 18 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत व मानव अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)253-1988-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्लूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, 8, 9, 14 एवं 15 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ. अ. वि., पु. मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्लूरो, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

एफ. क्र. 15-17-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील—नैनपुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)
(1)	(2)	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला मण्डला.
1.	मूल ग्राम—केरेगांव एवं पाटादेह	प.ह.नं. 21.
2.	नवीन ग्राम—आमाटोला	

(1)	(2)	(3)
2.	1. मूल ग्राम—ईश्वरपुर 2. नवीन ग्राम—इमलीटोला	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला मण्डला.
	प.ह.नं. 23.	

तहसील—घुघरी

3.	1. मूल ग्राम—चाबी 2. नवीन ग्राम—झण्डाटोला	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला मण्डला.
	प.ह.नं. 11.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

पृ. क्र. एफ 15-17-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-17-2013-सात-6, दिनांक 8 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th August 2013

F.No. 15-17-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tahsil—Nainpur

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	Org. Vill.—Keregaon & Patadeh.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandla.
2.	New Vill.—Aamatola P.H.No.—21.	
2.	Org. Vill.—Eshwarpur 2. New Vill.—Imalitola P.H.No.—23.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandla.

Tahsil—Ghughari

3..	1. Org. Vill.—Chabi 2. New Vill.—Jhandatola P.H.No.—11.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandla
-----	--	---

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013

आदेश

क्र. एफ. 67-83-10-तीन-838.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् तराना, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” से जवाब (लिखित अध्यावेदन) कारण बताओ सूचना

के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” को संबोधित सूचना पत्र दिनांक 18 मार्च 2010 जारी किया जाकर अभ्यर्थी को प्रतिवेदित किया गया कि—आपके द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2010 को व्यय लेखा प्रस्तुत किया है जिसके साथ विलंब के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है और प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे में कमियां/त्रुटियां पाई गई हैं। अतः त्रुटियों/कमियों को पत्र की प्राप्ति से एक सप्ताह की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर पूर्ण करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 सितम्बर 2011 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर व्यय लेखों की कमियों/त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 26 जून 2013 को बुलाया गया। लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुई। अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई का सूचना-पत्र लेने से इंकार किया तथा उक्त संबंध में अभ्यर्थी ने आयोग से कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायेचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी “मम्मीजी” को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् तराना, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ 1-2-13-रा.स.-यू.ए.1-861.—महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुसंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई हैः—

1. डॉ. तुकाराम अनन्पा मोरे, कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)	समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2. प्रो. ए. के. शर्मा पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नोएडा (उ. प्र.)	समिति के सदस्य अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3. श्री अशोक चक्रधर, जे-116, सरिता विहार, नई दिल्ली—110076	समिति के सदस्य प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित.

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. तुकाराम अनन्पा मोरे को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 7997-सां-ले.-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और
2. पर्यटन पुलिस चौकी, महेश्वर नगर, महेश्वर जो कि जिला खरगोन की तहसील महेश्वर में हैं पर्यटन पुलिस चौकी घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
---------	---	--------------------------

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. कोतवाली महेश्वर, तहसील महेश्वर जिला खरगोन. | 1. ज्वालेश्वर, कालेश्वर मंदिर |
|---|-------------------------------|

- | | |
|-----------------|--|
| 2. सात माता घाट | |
|-----------------|--|

(1)	(2)	(3)
	3.	पेशवा घाट, जगदीश मंदिर
	4.	काशी विश्वनाथ घाट
	5.	खतरनाक घाट
	6.	अहित्या घाट
	7.	महिला घाट
	8.	सामने घाट (प्रमुख घाट)
	9.	नाव घाट
	10.	मातंगेश्वर घाट
	11.	पंडरीनाथ घाट
	12.	नर्मदा रिट्रीट
	13.	बाणेश्वर मंदिर
	14.	नर्मदा नदी
	15.	चौखण्डी
	16.	पेशवा मार्ग
	17.	चिंतामणी गणपति मंदिर
	18.	कमानी दरवाजा
	19.	बाजार चौक
	20.	संपूर्ण किला परिसर
	21.	कालिदास मैदान
	22.	गांधी चौक से नर्मदा घाट मार्ग
	23.	केवट मोहल्ला
	24.	मोनी बाबा आश्रम
	25.	सीयाराम बाबा कुटिया
	26.	खडे पीर
	27.	अयोध्या बस्ती
	28.	गोपाल मंदिर से तिलक पथ रोड
	29.	तिलक पथ से नर्मदा रिट्रीट तक
	30.	धान मंडी

No. 7997-S.W.-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh, Gazette” :—

- (i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and
- (ii) Declares Tourism Police Chouki Maheshwar, Nagar Maheshwar outpost to be a Police Station Kotwali in Tehsil of Maheshwar, District Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

S.No.	Name of Police Station (with Tahsil and Distt. from which excluded (2)	Local Areas Name of Village (3)
1.	Kotwali Maheshwar, Tehsil Maheshwar, District Khargone.	1. Jwaleshwar, Kaleshwar Mandir 2. Sat Mata Ghat

(1)

(2)

(3)

3. Peshwa Ghat, Jagdish Mandir
4. Kashi Vishvanath Ghat
5. Khaternak Ghat
6. Ahilya Ghat
7. Mahila Ghat
8. Saamne Ghat (Pramukh Ghat)
9. Naav Ghat
10. Matangeshwar Ghat
11. Pandrinath Ghat
12. Narmada Retreat
13. Baneshwar Mandir
14. Narmada Nadi
15. Choukhandi
16. Peshwa Marg
17. Chintamani Ganpati Mandir
18. Kamani Darwaja
19. Bazaar Chouk
20. Sampurna Kila Parisar
21. Kalidas Maidan
22. Gandhi Chouk to Narmada Ghat Marg
23. Kewat Mohalla
24. Moni Baba Ashram
25. Siyaram Baba Kutiya
26. Khade Pir
27. Ayodhaya Basti
28. Gopal Mandir to Tilak Path Road
29. Tilak Path to Narmada Retreat
30. Dhan Mandi

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर/उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्र. सह-अधि-रीडर-2013.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय 2000 के विनिमय, क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष, श्री एन. डी. पटले एवं माननीय सदस्य श्री गिरीश ताम्हणे, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 23 अगस्त 2013 (शुक्रवार) को नियत की गई है। उक्त दिनांक को पेशी स्थान कार्यालय, कमिशनर, उज्जैन राजस्व संभाग, उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

संजय नायक, रजिस्ट्रार,

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 802-मण्डी निर्वाचन-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, 102-रतलाम के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	102-रतलाम	श्री कांतिलाल भूरिया, संसदीय क्षेत्र-झाबुआ, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ.	सांसद, लोकसभा सदस्य	धारा-11 (घ) एक
2	102-रतलाम	श्री आनन्दलाल टाक पिता श्री छगनलाल टाक निवासी ग्राम गुणावद, तहसील व जिला रतलाम.	विधायक, रतलाम ग्रामीण, धारा-11(1) (घ)-दो विधान सभा सदस्य.	
3	102-रतलाम	श्री राजेन्द्र राठौड़-मांगीलाल राठौड़ 116, शहर सराय रतलाम.	प्रबंधक सहकारी विपणन	धारा-11 खण्ड (ड) (सोसायटी).
4	102-रतलाम	श्री सी. के. जैन, उप संचालक कृषि, कृषि विकास कार्यालय, रतलाम.	उप संचालक, कृषि विभाग	धारा-11 खण्ड (च)
5	102-रतलाम	श्री रामचन्द्र चौधरी, निवासी ग्राम चिकलिया पोस्ट विलपांक, तहसील व जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित.	धारा-11 खण्ड (ज)
6	102-रतलाम	श्री शक्तिसिंह आ. बहादुरसिंह सिसोदिया सेमलिया	प्रबंधक, भूमि विकास बैंक.	धारा-11 खण्ड (झ)
7	102-रतलाम	श्री कैलाश निनामा, सदस्य जिला पंचायत, रतलाम.	अध्यक्ष, जिला पंचायत रतलाम.	धारा-11 खण्ड (ज)

क्र. 804-मण्डी निर्वाचन-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, 103-जावरा के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	103-जावरा	सुश्री मिनाक्षी नटराजन, संसदीय क्षेत्र-मन्दसौर, 23, एम.आई.जी. इन्ड्रानगर, रतलाम.	लोकसभा सदस्य	धारा-11 (घ) एक
2	103-जावरा	श्री महेन्द्र गोखरू, खारीवाल कॉलोनी, जावरा	विधान सभा सदस्य	धारा-11(1)(घ)-दो
3	103-जावरा	श्री देवेन्द्र शर्मा पिता हीरालाल शर्मा, ग्राम शुजापुर, जिला रतलाम (म. प्र.).	प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.	धारा-11 खण्ड (ड)
4	103-जावरा	श्री डी.आर. माहोर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, जावरा.	उप संचालक, कृषि विभाग	धारा-11 खण्ड (च)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	103-जावरा	श्री प्रकाश मेहरा, एडव्होकेट निवासी 3, शुक्रवारिया जावरा, जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.	धारा-11, खण्ड (ज)
6	103-जावरा	श्री किशोर आ. फकीरचन्द राठोर, मामठखेड़ा.	प्रबंधक, भूमि विकास बैंक	धारा-11, खण्ड (झ)
7	103-जावरा	श्री विश्वजीत सिंह राठौर, पंच, ग्राम पंचायत आम्बा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.	धारा-11, खण्ड (ज)

क्र. 806-मण्डी निर्वाचन-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, 104-आलोट के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	104-आलोट	श्री प्रेमचन्द गुड्हू-संसदीय क्षेत्र, उज्जैन 90, अनूप नगर जिला इन्दौर, बी-32, संतनगर उज्जैन.	लोकसभा सदस्य	धारा-11 (घ) एक
2	104-आलोट	श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक-आलोट, जगदेव गंज, आलोट.	विधान सभा सदस्य	धारा-11(1)(घ)-दो
3	104-आलोट	श्री हरपालसिंह पिता मोहनसिंह सोलंकी, बड़ा रावला, आलोट.	प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.	धारा-11 खण्ड (ड)
4	104-आलोट	श्री डी. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आलोट.	उप संचालक, कृषि विभाग	धारा-11, खण्ड (च)
5	104-आलोट	श्री गोरधनसिंह सोलंकी, निवासी बड़ा रावला तहसील आलोट जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.	धारा-11, खण्ड (ज)
6	104-आलोट	श्री सुरेन्द्रसिंह आ. गोवर्धनसिंह, बड़ा रावला आलोट.	प्रबंधक, भूमि विकास बैंक	धारा-11, खण्ड (झ)
7	104-आलोट	श्री बाबूलाल लूहार, सरपंच, ग्राम पंचायत, खजूरी देवड़ा.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.	धारा-11, खण्ड (ज)

क्र. 808-मण्डी निर्वाचन-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, 105-सैलाना के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	105-सैलाना	श्री कांतिलाल भूरिया, संसदीय-क्षेत्र झाबुआ, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ.	लोकसभा सदस्य	धारा-11 (घ) एक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	105-सैलाना	श्री प्रभुदयाल गेहलोत, विधायक-सैलाना, पुरानी नगरपालिका भवन, सैलाना.	विधान सभा सदस्य	धारा-11(1)(घ)-दो
3	105-सैलाना	श्री कन्हैयालाल गरिया, नि. बायड़ी, पोस्ट बासिन्दा, तहसील सैलाना.	प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.	धारा-11 खण्ड (ड)
4	105-सैलाना	श्री एस. के. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, सैलाना.	उप संचालक, कृषि विभाग	धारा-11, खण्ड (च)
5	105-सैलाना	श्री श्रेणिकमल चण्डालिया, पेलेस के सामने, तहसील सैलाना, जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.	धारा-11, खण्ड (ज)
6	105-सैलाना	श्री मगन आ. मांगूजी, पाटड़ी, तहसील सैलाना.	प्रबंधक, भूमि विकास बैंक	धारा-11, खण्ड (झ)
7	105-सैलाना	श्री मुकेश वालुजी खराड़ी, सरपंच, ग्राम पंचायत खेरदा.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.	धारा-11, खण्ड (ज)

क्र. 810-मण्डी निर्वाचन-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, 106-ताल के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	106-ताल	श्री राजाराम पिता कचरुलाल पाटीदार, मुण्डलाकला.	लोकसभा सदस्य	धारा-11 (घ) एक
2	106-ताल	श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक-आलोट, जगदेवगंज आलोट.	विधान सभा सदस्य	धारा-11(1)(घ)-दो
3	106-ताल	श्री शितलसिंह पिता अमरसिंह ताल	प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.	धारा-11 खण्ड (ड)
4	106-ताल	श्री भीका वास्के, सहायक संचालक, कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विकास महलवाड़ा, रतलाम.	उप संचालक, कृषि विभाग	धारा-11, खण्ड (च)
5	106-ताल	श्री गोराधनसिंह सोलंकी, बड़ा रावला, तहसील, आलोट, जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.	धारा-11, खण्ड (ज)
6	106-ताल	श्री भेरुलाल आ. फूलचन्द पाटीदार, लसुड़ियाखेड़ी.	प्रबंधक, भूमि विकास बैंक	धारा-11, खण्ड (झ)
7	106-ताल	श्रीमती रुकमणी बाई हाड़ा, सदस्य जिला पंचायत, रतलाम.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.	धारा-11, खण्ड (ज)

राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 17 जून 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	देवरीहटाई	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कटनी.	देवरीहटाई जलाशय योजना.
		प.ह.नं. 65/54		योग . . <u>0.20</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. भू-अर्जन-13-154.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	गुलाना	पोलायखुर्द	निजी भूमि 3.497	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर।	खाम तालाब ग्राम पोलायखुर्द नहर।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-13-155.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	गुलाना	सिमरोल (श.)	निजी भूमि 0.387	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर.	सिमरोल तालाब क्र. 2 सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	मंगरोला	रकबा 2.120	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मंगरोला उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	रकबा 0.450	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	सिंहस्थ 2016 हेतु ऋण मुक्तेश्वर से रणजीत हनुमान मंदिर मार्ग के मध्य क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए की भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	रकबा 0.500	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	सिंहस्थ 2016 हेतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र से नरसिंह घाट क्षेत्र के मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल के निर्माण के लिए की भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	रकबा 0.187	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	सिंहस्थ 2016 हेतु बड़े पुल (चक्रतीर्थ) के समानांतर क्षिप्रा नदी जल मन्त्री पुल निर्माण कार्य के लिए की भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र.-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	रकबा 2.009	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	सिंहस्थ 2016 हेतु एम आर 5 मार्ग पर रेल्वे समपार क्र. 29 ए उज्जैन भोपाल रेल खण्ड कि.मी. 57/38- 407) पर आरओबी का निर्माण कार्य के लिए की भूमिअधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम नानाखेडा	रकबा 1.430	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम नानाखेडा, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम सांवराखेडी	रकबा 4.400	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सांवराखेडी, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

उज्जैन, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	इन्दौख	0.03 हे. पर स्थित मकान.	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर	इन्दौख-बडोद मार्ग पर स्थित काली सिंध नदी पर सेतु निर्माण होने उपरांत मार्ग में आ रहे मकान अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 अगस्त 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 422-10 पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	अमझर	6.270	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	अमझर तालाब योजना के
	अमरपाटन	छाइन	8.963	संभाग सतना जिला म.प्र.	निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 1815-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मऊ	0.150	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के सिंहावल मुख्य नहर प्रणाली के अन्तर्गत क्रास कम एस्केप के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1817-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गोलहटा	1.75	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब-माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1819-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सतना	कोटर	देवरी वृत्त	1.045	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब-माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>1.045</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1823-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सतना	रघुराज नगर	पतौड़ा	0.985	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पवैया माइनर और पवैया सब-माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>0.985</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. 1835-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सिलपरी	0.021	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली सिलपरी वितरिक की सिलपरी माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
			योग . .	<u>0.021</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्र. 1838-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सेमरी	0.85	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1840-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	महुआर	0.79	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1842-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमिरती	0.740	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1844-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमिलिया	0.545	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 3 के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1846-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अतरैला	0.41	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलावार माईनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1848-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	हिनौती	1.58	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. 7307-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दार्यों मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	नरसिंहपुरा	2.390	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	मूण्डला तालाब की दार्यों मुख्य
राजगढ़	राजगढ़	खाजला	1.659	संभाग, राजगढ़।	नहर निर्माण में प्रभावित भूमि
राजगढ़	राजगढ़	बड़दला	2.832		का अर्जन।
राजगढ़	राजगढ़	घोघड़िया खुर्द	0.271		
राजगढ़	राजगढ़	घोघड़िया कला	2.452		
राजगढ़	राजगढ़	हिरनखेड़ा	3.692		
राजगढ़	राजगढ़	टांडीकलां	6.586		
राजगढ़	राजगढ़	सेमली जागीर	1.408		
		योग . .	21.290		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	मूण्डला	4.432	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	मूण्डला तालाब की बायीं मुख्य
राजगढ़	राजगढ़	बड़दला	0.920	संभाग, राजगढ़.	नहर निर्माण में प्रभावित भूमि
राजगढ़	राजगढ़	पीपलबेपुरोहित	2.053		का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	हिरनखेड़ी	4.564		
राजगढ़	राजगढ़	भवानीपुरा खुर्द	0.723		
राजगढ़	राजगढ़	रामपुरिया	1.026		
राजगढ़	राजगढ़	उंचाखेड़ा	2.961		
राजगढ़	राजगढ़	उदूपुरिया	2.850		
राजगढ़	राजगढ़	पड़िया जागीर	1.083		
		योग . .	<u>20.617</u>		
		महायोग . .	<u>41.907</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 7309-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नदी से प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	देहरीकराड़	1.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	<u>1.120</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. एफ 404-भू-अर्जन-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—हिनौता खुर्द
- (घ) क्षेत्रफल—1.280 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
314	0.476
317/2/10	0.048
318/1	0.010
318/2	0.005
317/2/2	0.016
315	0.066
316	0.154
321	0.277
322	0.068
317/1ख	0.061
317/1क/3	0.039
317/1क/2	0.030
317/1क/1	0.030
निजी खाता भूमि योग . .	<u>1.280</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—जिगना बरही बाण सागर बदल मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 404-भू-अर्जन-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—जोवा
- (घ) क्षेत्रफल—1.589 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
238/2	0.036
236	0.030
235	0.029
234/2	0.012
234/1क	0.012
396	0.025
397/1	0.084
401/1ख/3	0.084
400/2	0.084
425/1	0.034
152	0.013
154	0.033
148	0.024
145	0.012
146	0.011
452	0.024
144/1	0.011
144/2	0.010
503/2	0.058
503/1	0.058
504/1	0.100
508	0.006
507/1क	0.048
507/2	0.048
509	0.081

(1)	(2)
520/1	0.055
526	0.117
551/2 क	0.117
555/1	0.450
निजी खाता भूमि योग . .	<u>1.589</u>

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामनगर
- (ग) नगर/ग्राम—खारा
- (घ) क्षेत्रफल—1.474 हेक्टर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ 404-भू-अर्जन-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—टीकर
- (घ) क्षेत्रफल—0.532 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
369/2	0.486
412/1	0.023
412/2	0.023
निजी खाता भूमि योग . .	<u>0.532</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ 404-भू-अर्जन-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
263/1क	0.034
263/1ख	0.047
272/1ख	0.012
263/2क/1	0.040
263/2क/2	0.036
263/3	0.173
272/3	0.028
272/2क/1	0.028
273	0.085
275	0.081
282	0.045
283/2	0.016
284/1अ	0.020
284/2	0.020
285	0.061
271/641	0.109
479/1	0.024
479/2क	0.008
479/2ख	0.008
479/2ग	0.008
479/3	0.035
482	0.089
483	0.020
479/4 क	0.014
479/4 ख	0.015
489/1	0.068
492/1	0.079
489/2	0.069

(1)	(2)
492/2	0.078
491/1	0.040
491/2	0.061
493	0.049
494	0.024
निजी खाता भूमि योग . .	<u>1.474</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ 405-भू-अर्जन-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—अमरपाटन
 - (ग) नगर/ग्राम—खरमसेडा
 - (घ) क्षेत्रफल—20.208 हेक्टर।

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1626/2/2	2.000
1626/2क/2	0.337
1626/2ख/1क	0.959
1626/2ख/2	1.011
1626/2ग	2.023
1626/2घ/1	1.619
1626/2घ/2	0.405
1626/2ड/1	0.675
1626/2ड/2	0.674
1626/2ड/3	0.674
1626/2च/1	1.012
1626/2छ	2.023
1626/2ज	2.023
1626/2झ	2.023
1626/2च/2	1.011

(1)	(2)
1626/2क/2	0.338
1626/2ख/3	0.337
1626/2क/4	1.011
1626/2ख/1ख	0.053
निजी खाता भूमि योग . .	<u>20.208</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—मौहास तालाब योजना के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

सतना, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 421-भू-अर्जन-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) नगर/ग्राम—किरहाई
- (घ) क्षेत्रफल—1.802 हेक्टर।

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
294/2क	0.162
294/2ख	0.113
300	0.599
301	0.283
302	0.129
306/1ख 1	0.243
307/1ख 1	0.263
निजी खाता भूमि योग . .	<u>1.802</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

प्र. क्र. 30-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—भितरवार
- (ग) ग्राम—उर्वा-II
- (घ) क्षेत्रफल—0.454 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
356 मिन-1	0.272	0.007
356 मि-2क	0.209	0.007
356मि-2ख	0.209	0.007
357	0.658	0.085
538	0.157	0.157
690/1	0.084	0.010
690/2	0.010	
691/मिन-1	0.050	
619/मिन-2	0.049	
706	0.051	
707	0.021	
योग :		<u>0.454</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-30-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
- (ख) तहसील—अशोकनगर
- (ग) ग्राम—गोपालपुर
- (घ) क्षेत्रफल (हे.)—20.626

सर्वे	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
क्रमांक	(2)
(1)	
3/2	0.418
3/3	0.969
6/1	0.618
6/2	0.618
7/1	2.000
7/2	1.292
11/1 में से	0.300
11/2 में से	0.209
12/1 में से	0.100
13/2 में से	0.400
36/2 में से	0.209
37/2 में से	0.627
38/1	0.708
38/2 ख	0.616
47/1 में से	0.209
47/2 में से	0.209
175 में से	0.100
179/2	2.000

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—नैनागढ़ (घ) लगभग क्षेत्रफल—39.77 हेक्टर.
180/1 मि.	1.373	सर्वे नम्बर
180/1 मि.	0.418	(1) अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)
180/1 मि.	0.209	4 1.00
181/1 मि. में से	0.418	5 1.00
181/2 क में से	0.260	6 0.95
182/1 में से	0.209	7 0.72
263/1 में से	0.418	9 1.85
263/2 में से	0.418	10/1 1.01
263/3 में से	0.836	11 0.90
265/1 में से	0.300	12 0.83
265/3 में से	0.418	14/2 0.50
266/1 में से	1.881	20/1 0.41
266/2 में से	1.500	20/2 0.50
268/3 में से	0.209	21 1.04
269/1	0.157	22 0.20
योग.	<u>20.626</u>	23/1 0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बरखेडा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.	23/2 0.04 29 0.24
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.	32 0.37 33 0.13 34 0.05 35 0.11 43 0.06 44 0.22 45 0.11
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सन्तोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	47 0.10 48 0.23 48/288 0.42
	49 0.14 50 0.09 51 0.25 52 0.10 53 0.04 54 0.11 57 0.40 59 0.84

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-198.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि	60/1 1.73
(क) जिला—शिवपुरी	60/2 0.06
(ख) तहसील—पोहरी	61 0.39

(1)	(2)	(1)	(2)
62/1	0.73	131	0.05
63	0.40	132	0.15
64	0.20	133	0.25
65/2	1.20	134	0.13
66	0.18	135	0.03
67/1	0.16	136	0.20
70	0.03	138	0.01
71	0.55	142	1.07
72	0.15	143	0.20
73	0.46	150	0.43
74	0.08	151	0.22
76	0.16	152	0.08
78	0.35	153	0.01
79/1	0.31	154	0.22
79/2	0.15	155	0.15
79/3	0.50	157	0.08
79/4	0.18	161	0.01
79/289	0.52	164	0.01
83/1	0.41	165/1	0.09
83/2	0.42	165/2	0.14
84	0.83		
86	0.45		
88/1	0.34		योग . . 39.77
88/2	1.02		
89/1क	0.23	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.	
89/1ख	0.35		
89/2	0.75	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।	
89/3	0.60		
89/4	0.70		
89/5	0.40	क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-204.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
89/6	0.25		
90	2.00		
91	0.55		
95	0.85		
96	0.10		
114	0.28		अनुसूची
116	0.28		
117	0.90	(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि	
118	0.27	(क) जिला—शिवपुरी	
119	0.16	(ख) तहसील—पोहरी	
129	0.15		

- (ग) नगर/ग्राम—मकलीझरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.95 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकमा (हेक्टर में)
(1)	(2)
02	0.10
04	0.06
05	0.05
06	0.28
07	0.08
08	0.08
10	0.25
11/1	0.20
15	0.05
16	0.15
18	0.23
19/1	0.03
19/2	0.03
19/3	0.03
20/1	0.05
20/2	0.04
20/3	0.05
21	0.05
22	0.28
23	0.12
24	0.15
25/1	0.03
28	0.08
29	0.03
30	0.03
31	0.05
32	0.14
33	0.01
34	0.01
40	0.08
42	0.13
कुल योग . .	2.95

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—कमलापुर
- (घ) कुल क्षेत्रफल—0.13 है.

सर्वे नं.	कुल रकमा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकमा (है. में)
(1)	(2)	(3)
493	0.42	0.13
योग . .		0.13

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद

(ग) नगर/ग्राम—रामपुरा				(2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(घ) कुल क्षेत्रफल—1.95 है.				(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सर्वे नं.	कुल रकबा (है. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)	(1)	(2)
851	1.09	0.12	862/1	0.95
862/2	0.95	0.11	862/3	0.95
866	1.11	0.03	860	1.49
870	2.40	0.12	871	0.91
875	1.23	0.08	880	1.25
894	0.20	0.03	893	1.01
891/1	0.56	0.06	891/2	0.27
892	0.39	0.09	684	0.47
682	0.22	0.04	680	0.65
656	1.27	0.12	657	0.12
658	0.98	0.11	659	0.27
652	0.28	0.05	650	0.84
640/1	1.00	0.03	640/2	1.40
640/3/मिन.	0.42	0.08	640/3 मिन.	0.40
640/4	0.40		629	0.24
628	0.43	0.05	627/1	0.43
627/2	0.42	0.07	620	0.21
617	0.34	0.05	616	0.37
615	0.37	0.02	651	0.43
योग . .		1.95	योग . .	0.31
			(2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.	
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
			(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	
			क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—	
			अनुसूची	
			(1) भूमि का वर्णन—	
			(क) जिला—भिण्ड	
			(ख) तहसील—गोहद	
			(ग) नगर/ग्राम—रवरौआ	
			(घ) कुल क्षेत्रफल—0.31 है.	
			सर्वे नं.	कुल रकबा (है. में)
			(1)	(2)
			2483	0.25
			2482	1.83
			2480	0.85
			योग . .	0.31
			(2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.	
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
			(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	
			क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित	

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता हैः—

			(1)	(2)	(3)
अनुसूची			129	0.240	0.04
(1) भूमि का वर्णन—			130	0.240	0.05
(क) जिला—भिण्ड			134	0.540	0.02
(ख) तहसील—गोहद			135	1.210	0.12
(ग) नगर/ग्राम—बडेरा			150	0.290	0.01
(घ) कुल क्षेत्रफल—5.73 हे.			149	0.600	0.09
			152	0.370	0.06
			145	0.710	0.01
सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	754	0.630	0.10
			756	2.320	0.21
			757	1.280	0.10
(1)	(2)	(3)	760	0.990	0.17
707	0.660	0.08	759	0.830	0.06
704	0.690	0.09	761	1.280	0.11
699	1.000	0.06	771	1.030	0.15
697	0.390	0.04	772	1.000	0.05
696	0.40	0.03	785	1.270	0.12
695	1.070	0.09	777	1.650	0.26
689	1.110	0.11	783	1.470	0.12
685	1.020	0.09	781	0.760	0.01
676	1.150	0.07	780	1.120	0.23
673	1.260	0.02	532	0.310	0.07
674	2.100	0.16	534	1.010	0.03
663	2.150	0.15	535	0.300	0.04
664	0.970	0.08	526/1	0.350	0.08
639	0.420	0.03	526/2	0.070	
638	0.370	0.06	525	0.190	0.01
301	0.370	0.06	528	0.390	0.05
300	0.490	0.01	529	0.510	0.04
302	0.960	0.09	518	0.920	0.01
303	0.200	0.01	504	0.600	0.11
304	0.330	0.06	501	0.540	0.03
306	0.400	0.02	500	0.040	0.03
311	0.540	0.05	487	0.110	0.01
310	1.250	0.14	488	0.280	0.02
309	2.220	0.09	489	0.270	0.01
320	0.910	0.04	490	0.140	0.01
228	0.880	0.07	491	0.170	0.02
227	0.870	0.14	498	0.730	0.08
226	0.070	0.01	492/1	0.820	
215	0.320	0.02	492/2	0.810	0.15
213	1.750	0.10	495	0.360	0.02

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
494	0.330	0.03	2612	0.50	0.01
477	0.890	0.12	2615	0.52	0.08
444	1.640	0.17	2614	0.48	0.06
436	1.050	0.16	2616	1.00	0.01
491	0.170	0.07	2617	0.98	0.13
483	0.790	0.04	2618	0.71	0.01
484	0.580	0.10	2593	0.60	0.01
702	0.570	0.06	2662	0.25	0.17
योग . .			योग . .		
		5.73			0.62

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 17-अ-82-2012-13.—चौंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—चितौरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—0.62 हे.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2608	0.16	0.03	84	0.13	0.01
2609	0.51	0.05	93	0.83	0.01
2607	0.32	0.02	85	0.42	0.07
2610	0.15	0.03	86	0.47	0.06
2611	0.16	0.01	92	0.36	0.05

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—बीलपुरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—1.76 हे.

(1)	(2)	(3)	(ग) नगर/ग्राम—डिरमन (घ) कुल क्षेत्रफल—2.76 हे.		
			सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
			(1)	(2)	(3)
216	0.15	0.06			
91	0.34	0.06			
90	0.31	0.05			
129	0.10	0.01			
125	1.07	0.07	(1)	(2)	(3)
124	1.54	0.14	46	3.76	0.03
151	0.86	0.08	43	3.65	0.42
176	1.08	0.02	45	0.05	0.01
152	0.58	0.09	31	1.28	0.16
153	0.75	0.13	29	1.69	0.08
154	0.21	0.01	32	3.08	0.01
175	1.16	0.10	28	3.66	0.02
174	2.60	0.19	26	0.08	0.01
226	0.68	0.07	25	3.17	0.23
221	0.32	0.01	185	0.07	0.01
223	0.50	0.04	186	0.72	0.10
222	0.48	0.08	187	0.68	0.08
218	0.14	0.03	189	1.18	0.12
217	0.15	0.03	258	1.49	0.01
252	1.75	0.08	257	1.04	0.13
255	0.36	0.05	256	0.32	0.06
254	2.20	0.16	255	0.15	0.03
	योग .	<u>1.76</u>	254	0.37	0.01
(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.			253	0.80	0.08
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.			252	0.45	0.08
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.			316	1.13	0.01
क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		244	0.68	0.03	
			318	1.05	0.15
			319	0.73	0.06
			329	0.72	0.01
			327/मिन	0.06	
			327/मिन	0.24	0.05
			327/मिन	0.23	
			328	0.53	0.09
			326/मिन	0.20	
			326/मिन	0.08	0.05
			326/मिन	0.44	
			333	0.38	0.01
			336	0.08	0.01
			337	0.10	0.03
			338	1.07	0.12
			405	0.56	0.04
अनुसूची					
(1) भूमि का वर्णन—					
(क) जिला—भिण्ड					
(ख) तहसील—गोहद					

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
363	1.15	0.08	1675	1.13	0.08
403	0.83	0.08	1676	0.61	0.10
364	0.49	0.01	1685	0.21	0.02
402	0.46	0.07	1559	0.33	0.10
184	1.64	0.01	1561	0.24	0.03
469	0.13	0.01	1562	0.43	0.05
471	1.10	0.01	1563	1.49	0.06
474	0.53	0.13	1542	1.47	0.04
475	0.81	0.02	1540	0.76	0.02
		योग . <u>2.76</u>	1541	0.90	0.09
(2)	प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.		1526	1.23	0.12
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।		1524	0.05	0.01
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।		1522	0.81	0.09
क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	1496	0.58	0.05		
			1521	0.44	0.01
			1502	0.23	0.01
			1497	0.16	0.03
			1498	0.66	0.07
			1500	0.66	0.02
			1499	0.28	0.07
			1429	0.57	0.09
			1430	0.53	0.09
			1432	0.12	0.04
			1313	1.10	0.14
			1314	0.47	0.06
			1315	0.59	0.03
			1297	0.52	0.01
			1308	1.00	0.07
			1307	0.81	0.11
			1305	0.55	0.09
			1303	0.45	0.04
			1239	1.44	0.21
			1240	1.71	0.01
सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	1221 1221/5158	0.63 0.10	0.06 0.01
(1)	(2)	(3)	1220	1.40	0.17
1670	0.13	0.01	1219	0.08	0.02
1679	0.51	0.09	1217	0.36	0.07
1668	0.46	0.01	1216	0.91	0.01
1680	0.58	0.05	1214/1	0.46	0.12
1678	0.61	0.10	1214/2	0.45	
			1205	0.410	0.01

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1213	0.960	0.05	4508	1.23	0.01
1208	0.220	0.02	4525	1.88	0.25
4454	0.23	0.02	4527	2.61	0.18
4455	0.22	0.04	4531	1.21	0.09
4457	0.41	0.07	4534	1.51	0.08
4456	0.25	0.01	4530	1.49	0.12
4458/1	0.93	0.12	4684	3.19	0.01
4458/2	1.00		4682	0.89	0.17
4470	0.89	0.15	4681	1.64	0.05
4471	0.61	0.09	4738	0.95	0.12
4472	0.90	0.01	4737	1.12	0.07
4483	0.06	0.06	4739	0.88	0.13
4484	0.74	0.01	4764	1.06	0.03
4570	0.54	0.02	4769	1.36	0.14
4598	1.10	0.02	4728	0.71	0.07
4615	0.95	0.06	4730	0.40	0.03
4616/मिन-1	0.56	0.14	4726	0.60	0.05
4619	0.59	0.08	4725	0.61	0.11
4613	0.94	0.04	4773	0.51	0.09
4620	0.30	0.01	4781	1.05	0.08
4629	0.22	0.17	4782	1.40	0.13
4640	0.81	0.06	4784	0.63	0.06
4635	0.87	0.05	4821	1.85	0.16
4636	0.86	0.12	4820	0.65	0.06
3524	1.41	0.11	4882	0.83	0.07
3535	0.69	0.02	4881	0.84	0.07
3523	0.62	0.10	4880	0.62	0.05
3522	0.34	0.05	4879	0.14	0.02
3521	0.28	0.01	4878	1.22	0.13
1626	0.76	0.12	4887	1.03	0.12
1618	1.12	0.16	4895	0.89	0.08
1616	0.20	0.01	4897	0.790	0.08
1612	0.47	0.01	4898	1.50	0.02
1613	1.11	0.12	4816	0.20	0.01
1608	0.31	0.04	4899	1.030	0.01
1607	0.36	0.05	4814	0.34	0.01
1605	1.18	0.10	4815	0.28	0.01
1469	0.43	0.02	4322	0.67	0.07
1470	1.83	0.06	4325	1.46	0.10
1468	2.52	0.23	3664	0.35	0.07
1461	1.50	0.16	4289	0.59	0.01
1459	1.34	0.08	265	0.75	0.10
4510	1.14	0.10	268	0.63	0.10

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
271	1.48	0.19	3973	0.81	0.09
292	0.28	0.05	3975	0.59	0.13
293	1.45	0.10	3975/मिन-1	0.60	
308	2.08	0.13	3976/मिन	0.55	0.05
317/5083	0.15	0.01	3976/मिन	0.55	
317	1.61	0.06	3967	1.05	0.01
318	0.70	0.08	3966	0.20	0.05
349	1.19	0.03	3965	0.63	0.10
347	0.17	0.04	3965/5132	0.15	0.01
613	1.16	0.02	3964	0.67	0.04
549	0.74	0.06	3959	0.64	0.02
348	0.63	0.09	3955	0.71	0.09
553	0.39	0.04	3954	0.78	0.09
603	0.16	0.04	3941	0.74	0.03
602	0.50	0.04	3942	0.53	0.05
346	0.43	0.01	3938	1.03	0.05
345	0.31	0.03	3936	0.65	0.10
495	0.19	0.01	3	1.39	0.03
494	0.31	0.03	21	0.33	0.02
493	0.31	0.03	18	0.84	0.01
491	1.13	0.03	20	0.62	0.09
497	0.36	0.03	19	0.42	0.08
522	0.66	0.09	34	1.18	0.01
546	1.25	0.07	27	0.66	0.08
548	0.19	0.04	26	1.46	0.05
517	1.80	0.01	42	1.50	0.03
544	1.08	0.07	43	0.39	0.05
552	0.56	0.05	44	1.00	0.06
554	0.24	0.03	63	0.84	0.01
612	1.07	0.12	57	0.92	0.16
611	0.53	0.07	58	0.08	0.01
610	0.39	0.04	56	2.08	0.07
601	0.37	0.03	55	1.61	0.16
609	0.13	0.02	49	2.04	0.20
597	0.59	0.06	4569	0.82	0.15
594	0.97	0.11		योग . .	13.79
589	0.27	0.01			
590	1.00	0.18	(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु।		
698	0.19	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बिंड के कार्यालय में देखा जा सकता है।		
697	0.19	0.04	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।		
2895	1.29	0.02			
699	2.08	0.04			
3972	1.15	0.17			

क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—छैरटा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—2.52 हे.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
--------------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
405	1.68	0.13
409	0.38	0.05
410	0.95	0.12
411	0.60	0.10
412	0.51	0.07
413	1.39	0.15
1036	0.42	0.01
1034	0.17	0.01
1035	1.29	0.12
1033	0.93	0.03
288	0.46	0.10
287	0.45	0.02
252	2.61	0.12
285	0.28	0.01
253	1.06	0.16
254	0.13	0.06
256	1.03	0.01
251	2.04	0.02
250	0.94	0.01
247	1.50	0.17
235	1.52	0.10
243	0.73	0.05
236	4.41	0.23
228	2.27	0.13
227	0.80	0.01

	(1)	(2)	(3)
199	0.91	0.12	
198	0.78	0.12	
197	0.48	0.03	
196	0.48	0.05	
187	0.96	0.21	

योग . . 2.52

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—पाली
- (घ) कुल क्षेत्रफल—5.94 हे.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
--------------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
666	1.28	0.02
665	1.20	0.17
664	0.94	0.10
662	1.49	0.16
487	2.28	0.21
488	2.60	0.08
472	0.25	0.01
471	0.31	0.03
469	0.38	0.03

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
468	0.31	0.03	2262	1.19	0.01
467	0.16	0.03	2259	0.46	0.08
465	0.39	0.04	2258	0.34	0.13
464	0.29	0.01	2256	0.19	0.08
514	1.14	0.04	2228	0.55	0.12
515	0.45	0.04	2234	0.50	0.01
516	0.38	0.06	2233	0.74	0.13
518	0.98	0.08	2237	0.21	0.01
519	1.37	0.15	2238	0.54	0.10
521	0.97	0.06	2240	0.49	0.09
529	1.01	0.07	2255	0.17	0.01
531	1.52	0.06	2241	0.23	0.05
445	1.25	0.01	1969	0.65	0.01
444	0.72	0.02	2680	0.21	0.02
443	0.31	0.03	2679	2.80	0.32
442	0.38	0.07	1994	0.51	0.07
413	0.97	0.06	1995	0.36	0.07
415	0.25	0.01	1996	0.61	0.13
412	1.12	0.06	1997	1.48	0.14
409	0.83	0.06	1999	0.46	0.12
401	0.79	0.10	2000	1.03	0.01
402	0.17	0.01	2064	0.55	0.07
394	0.64	0.12	2063	0.18	0.12
263	0.94	0.05	2066	0.56	0.07
391	0.65	0.01	2067	0.47	0.04
268	0.19	0.02	2080	1.19	0.08
267	1.36	0.14	2094	0.70	0.11
183	0.74	0.08	2093	0.70	0.07
180/मिन	0.48	0.11	2141	0.60	0.10
180/मिन	0.48		2243	0.48	0.02
174	2.09	0.14	2244	1.10	0.07
50	1.49	0.16	2296	0.24	0.09
46	0.30	0.01	2297	0.33	0.01
47	2.01	0.01		योग .	5.94
49	1.78	0.10	(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर/4 आर, 1 आर, 3 आर/1, आर, माइनर के निर्माण हेतु,		
2142	0.60	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।		
2144	1.10	0.09	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।		
2139	1.33	0.06			
2145	0.86	0.07			
2147	1.24	0.01			
2146	1.24	0.20			
2184	0.84	0.08			

क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—हडियापुरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—0.12 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1/मिन	1.21	0.12
1/मिन	0.03	
		योग . . 0.12

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद

- (ग) नगर/ग्राम—भयपुरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—0.47 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
-----------	-----------------------	---

(1)	(2)	(3)
268	1.46	0.09
266	2.66	0.18
115	0.70	0.16
114	2.43	0.04
		योग . . 0.47

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—जंगलपुरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—0.79 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
-----------	-----------------------	---

(1)	(2)	(3)
362	0.57	0.10
359	0.71	0.10
358	0.51	0.01
350	0.56	0.02

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
351	0.91	0.10	976	0.14	0.04
352	0.27	0.02	951	0.20	0.02
353	0.34	0.06	980	0.24	0.08
347	0.40	0.01	981	0.27	0.05
347/368	0.23	0.08	985	0.09	0.03
346	0.55	0.01	990	0.45	0.08
344	0.79	0.05	984	1.17	0.15
345	1.02	0.11	987	0.39	0.01
337	0.58	0.01	988	0.42	0.02
338	1.11	0.11	989	0.28	0.06
		योग . . <u>0.79</u>	1029	0.54	0.10
			1028	0.43	0.08
			1025	0.63	0.05
			1024	1.16	0.02
					योग . . <u>1.35</u>

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—गुहीसर
- (घ) कुल क्षेत्रफल—1.35 है।

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
968	1.11	0.15
970	0.20	0.06
971	0.44	0.06
973	0.80	0.12
974	0.80	0.17

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—चम्हेडी
- (घ) कुल क्षेत्रफल—5.88 है।

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
1431	1.37	0.02
1429	0.30	0.02

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1432	0.88	0.16	1314	0.83	0.03
1423	3.46	0.23	1270	0.45	0.04
1040	0.97	0.11	1268	0.43	0.01
1039	0.53	0.02	1269	1.26	0.16
1042	2.08	0.12	1264	1.53	0.17
1050	1.52	0.07	1261	0.54	0.11
1046	0.96	0.34	1277	2.06	0.02
1045	2.34	0.11	1260	1.52	0.09
1055	0.78	0.02	1223	0.95	0.09
1057	0.51	0.05	1224	0.60	0.06
1056	1.01	0.20	615	0.59	0.11
1395	0.90	0.02	616	0.62	0.06
1393	2.05	0.06	613	0.56	0.06
1394	0.51	0.12	612	0.20	0.01
1365	1.02	0.14	611	0.62	0.11
1367	1.31	0.01	583	0.79	0.07
1366	1.00	0.06	584	0.71	0.04
1354	0.69	0.10	582	0.78	0.07
1353	0.59	0.02	1342	0.61	0.11
1339	1.20	0.08	610	1.61	0.01
1340	0.75	0.06			
1325	1.98	0.27			
1308	0.65	0.16			
1306	0.51	0.18	(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 2 एल/1 आर, 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.		
1299	2.55	0.16			
1301	1.33	0.16	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।		
1283	2.53	0.16			
1253	5.56	0.31			
1255	0.57	0.13	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।		
1256	0.55	0.07			
1246	0.49	0.01			
1244	1.49	0.08	क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
1365	1.02	0.08			
1355	0.68	0.04			
1356	1.73	0.07			
1351	0.45	0.06			
1349	0.65	0.07			
1343	0.65	0.01			
1319	0.46	0.08			
1318	1.23	0.01			
1313	0.39	0.09	(1) भूमि का वर्णन—		
1312	2.53	0.11	(क) जिला—भिण्ड		
			(ख) तहसील—गोहद		

अनुसूची

(ग) नगर/ग्राम—छैटा करवास

(घ) कुल क्षेत्रफल—2.99 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	185	0.57	0.01
671	0.90	0.17	213	1.08	0.05
673	0.25	0.01	216	0.11	0.01
677	0.87	0.12	217	0.28	0.04
676	0.76	0.01	218	0.35	0.02
657	1.76	0.12	137	1.10	0.04
685	1.18	0.11	138	0.49	0.08
716	0.08	0.02	139	0.22	0.05
683	0.48	0.10	140	0.14	0.01
682	0.37	0.05	141/1	0.24	0.01
684	0.61	0.04	141/2	0.77	
715	0.13	0.02	1113	0.47	0.07
694	0.06	0.01	1115	1.16	0.14
695	0.07	0.01	1119	0.40	0.10
690	0.07	0.01	1120	0.08	0.01
692	0.06	0.01	1118	0.52	0.02
691	0.07	0.03	1125/मिन	0.30	0.03
689	0.06	0.02	1125/मिन	0.31	
688	0.21	0.03	1126	0.29	0.08
693	0.07	0.01	1127	0.56	0.01
637	0.55	0.05	1128	0.10	0.01
636	0.55	0.07	1129	1.24	0.10
635	0.62	0.08	1133	0.33	0.07
634	1.29	0.01	1135	0.28	0.02
631/मिन-1	0.10	0.04	1134	0.41	0.13
631/मिन-2	0.22			योग .	2.99
632	0.55	0.11	(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/1 आर, 1 एल/1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु।		
629	0.62	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।		
172	2.16	0.03	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।		
189	0.30	0.02			
191	0.32	0.06			
207	0.46	0.07			
205	0.26	0.06			
204	0.29	0.06			
193	0.19	0.04			

क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—कल्याणपुरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—2.20 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
272	0.54	0.04
274	0.57	0.12
265	1.38	0.15
206	1.55	0.11
263/मिन	1.11	0.02
263/मिन	0.30	
264	0.49	0.01
262/मिन	1.50	0.13
262/मिन	0.20	
255	2.71	0.23
214	1.48	0.20
212	0.79	0.02
215	0.55	0.16
207	0.41	0.02
200	5.26	0.21
204	1.02	0.11
203	2.20	0.23
274	0.87	0.08
275	0.96	0.06
277/मिन	0.72	0.08
277/मिन	0.73	
278	0.58	0.12
260	1.48	0.01

(1)	(2)	(3)
279	0.12	0.03
280	0.49	0.06
योग . .		2.20

(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/1 आर, 3 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 30-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
- (ख) तहसील—गोहद
- (ग) नगर/ग्राम—अन्नायच
- (घ) कुल क्षेत्रफल—0.43 है.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
538	0.16	0.02
539	1.60	0.22
548/मिन	0.88	0.19
548/मिन	1.11	

योग . . 0.43

(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, खालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 31-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—			144	1.40	0.20
(क) जिला—भिण्ड			145	0.75	0.07
(ख) तहसील—गोहद			66	1.04	0.10
(ग) नगर/ग्राम—करवास			65/मिन	0.32	0.02
(घ) कुल क्षेत्रफल—3.61 हे.			65/मिन	0.06	

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	64	1.38	0.11
(1)	(2)	(3)	188	0.51	0.08
453	0.31	0.05	191	0.35	0.06
454	1.03	0.11	190	0.74	0.01
452/1	0.47		188	0.51	0.08
452/2	0.46	0.07	193	0.96	0.02
452/3	0.47		187	0.36	0.07
457/मिन	0.30	0.10	195	0.44	0.06
457/मिन	0.31		185	0.62	0.07
466/मिन	0.60	0.03	196	0.13	0.01
466/मिन	1.02		752	0.48	0.03
465	3.52	0.32	754	0.98	0.16
464	1.40	0.06	755	1.15	0.01
470	0.44	0.01	756	1.29	0.02
438	2.31	0.16	761	0.51	0.05
349/1	0.91	0.21	763	1.56	0.08
349/2	0.90		764	0.62	0.07
350	0.65	0.01	765	0.56	0.08
351	0.78	0.12	766	2.28	0.18
352/मिन	0.85	0.17	757	1.91	0.14
352/मिन	0.85		760	2.89	0.01
				योग .	3.61

(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
 (ख) तहसील—गोहद
 (ग) नगर/ग्राम—डिरमन
 (घ) कुल क्षेत्रफल—0.94 हे.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1121	0.77	0.09
1125	0.83	0.17
1124	0.81	0.17
1123	1.03	0.01
1122	1.50	0.01
1116	0.85	0.16
1117	1.00	0.05
1118	0.88	0.10
1119	0.67	0.09
1120	0.70	0.09
योग .		0.94

- (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 एम सीबी चक्रवर्ती, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर
 परियोजना (नहर) बड़वानी मध्यप्रदेश
 शुद्धि पत्र

बड़वानी, दिनांक 2 अगस्त 2013

कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी जिला-बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1084/भू-अर्जन/नहर/2013, दिनांक 16 मई 2013, प्रकरण क्रमांक 50-अ-82-2012-13 ग्राम सेमलदा डेब (तहसील ठीकरी जिला-बड़वानी के संदर्भ में:—

उद्घोषणा का क्रमांक	पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
41	246/2/2	0.032	246/2/2	0.072
	पैकि		पैकि	
42	246/2/3	0.006	246/2/3	0.032
	पैकि		पैकि	

शेष खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।

जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी।

कार्यालय, कलोकटर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2013

प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—मिनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.276 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रक्का (हेक्टेयर में) (2)
21	0.024
23/2	0.098
143/492	0.037
183	0.007
184	0.155
185	0.005
192	0.063
193	0.050
196	0.020
214	0.090
215	0.040
217	0.013
218	0.004
9/11	0.034
38/2	0.140
40/2	0.080
22	0.180
182	0.135
197	0.081
181	0.020
योग . .	1.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़े परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—धर्मपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.150 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रक्का (हेक्टेयर में) (2)
63	0.050
51	0.020
5/3	0.040
4/2	0.040
योग . .	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़े परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—हीरानगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.605 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
482/1	0.010
482/3	0.140
483	0.130
484	0.030
560	0.070
485	0.050
504	0.050
503	0.050
492/2	0.080
493/2	0.070
326	0.090
331	0.050
327	0.415
332	0.070
188	0.040
98/2	0.040
97/2	0.040
98/3	0.030
97/1/1	0.030
91/5	0.040
494/1	0.030
333	0.010
334	0.040
योग . .	<u>1.605</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—बौरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.276 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.080
3/6/1/2	0.013
3/5	0.040
6/1	0.110
6/2	0.370
5/1	0.040
11	0.123
37/1	0.080
37/2	0.020
20	0.050
15	0.050
16	0.060
18	0.030
311	0.090
334	0.140
312	0.100
324	0.015
331/2	0.140
3/4	0.430
322	0.150
322/421	0.090
321/1	0.055
योग . .	<u>2.276</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	(1)	(2)
टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	122/4	0.123
संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।	234	0.150
	261/1	0.140
	योग . .	1.801

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—पहाड़ीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.801 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
120/7	0.005
120/6	0.105
112/5	0.096
36 जुज	0.025
39	0.050
40	0.045
343	0.025
244	0.065
245	0.035
246	0.175
248/2	0.160
250/1	0.100
251/1	0.025
252	0.015
232	0.200
231	0.005
230	0.005
229	0.015
222/1	0.050
207	0.030
208	0.150
37	0.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़े परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—बंधिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.940 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
430/7/2	0.010
430/7/1	0.030
430/6	0.060
424	0.060
425/528	0.020
411	0.040
369	0.030
354/3	0.050
425/529	0.220
365	0.060
367	0.010
354/2	0.020
435/1/2	0.330
योग . .	0.940

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़े परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—टीकमगढ़
 (ग) नगर/ग्राम—चरपुवां
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.729 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
432/2	0.180
435	0.274
428	0.124
456/2	0.358
422/3	0.330
16/5	0.213
14	0.195
425/2	0.055
योग . .	<u>1.729</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़े परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—टीकमगढ़
 (ग) नगर/ग्राम—हनुमान सागर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.430 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
782/3/2	0.270
782/4/2	0.059
782/2/1	0.210
764/2 स	0.222
764/1 ख	0.137
764/4	0.115
764/5	0.030
570	0.085
564	0.008
572	0.080
522	0.026
519	0.030
552	0.010
553	0.040
531	0.010
528	0.016
525	0.030
505	0.020
520	0.040
504	0.040
398	0.007
782/4/1	0.177
782/1 ख	0.279
397	0.165
422/1	0.040
422/2	0.080
387	0.140
782/2/2	0.258

(1)	(2)	(1)	(2)
764/2 अ	0.055	38	0.115
766/1	0.055	44/2/1	0.354
571/2	0.092	36/1	0.040
433/3	0.100		
435/3	0.080		
420/1	0.190		
398/1/3	0.062		
399/1/3	0.012		
764/1 ख मिन	0.140		
538	0.020		
योग . .	<u>3.430</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—टीकमगढ़
 - (ख) तहसील—टीकमगढ़
 - (ग) नगर/ग्राम—तखा
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.109 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
216/6	0.060
216/3	0.045
216/5	0.070
28	0.090
27	0.050
32/2	0.090
39	0.195

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—आलमपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.400 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
588	0.030
586	0.240
543	0.030
565/2	0.080
569	0.020
योग . .	<u>0.400</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—सुनवाहा
- (घ) लागभग क्षेत्रफल—2.363 हेक्टेयर.

खसरा रकबा
नंबर (हेक्टेयर में)

	(1)	(2)
586	0.022	423
885/1	0.030	512
884/1/1	0.059	
884/1/2	0.060	
881/1	0.008	
855	0.150	
712	0.060	
874	0.130	
878	0.020	
879	0.240	
711	0.160	
661	0.075	
689	0.030	
690	0.100	
687	0.045	
698	0.029	
696	0.050	
697	0.050	
699	0.020	
693	0.030	
361	0.010	
358/1	0.080	
366	0.095	
425	0.010	
426	0.100	

	(1)	(2)
424		0.071
422		0.008
421		0.053
420		0.011
486		0.021
488/1		0.020
478		0.170
481		0.040
485		0.020
484		0.004
479		0.020
480		0.090
484		0.004
513		0.060
543		0.070
524/4		0.010
545		0.020
423		0.004
512		0.004
योग . .		2.363

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—गनेशगंज खास	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.846 हेक्टेयर.	390/2	0.180
खसरा	रकबा	390/1
नंबर	(हेक्टेयर में)	0.140
(1)	(2)	0.060
24/1 जुज	0.123	0.015
24/1 जुज	0.352	0.085
25/19/3	0.019	0.110
24/1	0.352	0.210
योग . .	<u>0.846</u>	0.060
		0.175
		0.110
		0.040
		योग . . <u>1.550</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—नयाखेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.550 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
368	0.055
366	0.110
328	0.009
354	0.151
356	0.025
392/2	0.015

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—हरपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.330 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
169	0.020
177	0.110
171	0.020
167/2	0.180
योग . .	<u>0.330</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 34-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—मानिकपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.876 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
347/1/अ	0.115
346/3	0.021
253/1 जुज	0.145
303	0.059
301	0.020
282	0.060
275	0.050
285/1	0.060
197	0.050
198	0.027
63	0.021
62	0.061
61/2	0.022
59	0.095
300	0.050
293	0.020
योग . .	0.876

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 35-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—गनेशगंज भाटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.166 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
69/3/4	0.170
69/3/6	0.012
76/6	0.035
70/5	0.007
70/2	0.114
54/4	0.063
57/1/क	0.049
57/1/ख	0.049
57/5	0.049
57/1/2	0.027
58/1	0.113
58/2	0.010
53	0.220
48/2	0.083
71/1/4	0.145
70/3/1	0.020
योग . .	1.166

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—जमडार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.290 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	
40/10	0.101	
33	0.013	
40/8	0.091	
40/4	0.087	
40/1 जुज	0.250	
40/के जुज	0.421	
40/12	0.237	
40 जुज	0.090	
योग . .	<u>1.290</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—इन्दरगढ़
- (ग) ग्राम—खजूरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	
	946	0.07
	योग . .	<u>0.07</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—राजधान नहर परियोजना के अन्तर्गत 2-आर. मायनर (डी.आई.सी.) विस्तारित नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

दतिया, दिनांक 1 अगस्त 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया

- (ग) नगर/ग्राम—ढाकरी
 (घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.82 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
400	0.01
460/2	0.06
336/3	0.18
311/1	0.28
303/1/2	0.01
303/2	0.28
कुल योग . .	<u>0.82</u>

- (ग) ग्राम—सलगापुर, प.ह.नं. 82
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.188 हे.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
9/2	
9/6	
9/10	0.058
23/1ग	
9/15	
9/5	
9/7	0.130
9/13	
योग . .	<u>0.188</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता —बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-470-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
 (ख) तहसील—गाडरवारा

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 8945-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
 (ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—जोलनपुर प.ह.नं.—33	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.26 हेक्टर.	182/5	0.03
खसरा नंबर में से	रकबा (हे. में)	182/3 182/6 योग . . कुल योग . .
(1)	(2)	0.16 0.29 0.80 <u>12.26</u>

शीर्ष निर्माण हेतु

81	0.01
76	0.16
79/1	0.04
79/2	0.04
78	0.08
77	0.12
109	1.00
111/3	0.94
111/4	0.16
112	0.01
108	0.32
106	0.11
107/1	0.09
114/1	0.05
118/1	0.07
72/2	0.01
107/2	0.08
114/2	0.05
118/2	0.07
107/3	0.09
114/3	0.05
118/3	0.07
107/4	0.08
118/4	0.07
123	0.33
122	1.34
115	0.12
113	0.04
117	1.44
116	0.24
111/6	1.00
111/2	2.11
115/5	1.07
योग . .	<u>11.46</u>

नहर निर्माण हेतु

119	0.02
168/3	0.27
182/2	0.03

(1)	(2)
182/5	0.03
182/3	0.16
182/6	0.29
योग . .	<u>0.80</u>
कुल योग . .	<u>12.26</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—जोलनपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 30 जुलाई 2013

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—अमानगंज
- (ग) ग्राम—विक्रमपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.358 हेक्टर।

खसरा नंबर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
148	0.576	निजी भूमि
143	0.110	निजी भूमि
199	0.268	निजी भूमि
174	1.000	निजी भूमि
161	1.000	निजी भूमि
202	0.054	निजी भूमि
218/1	1.350	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>4.358</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—जसवन्तपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—महिलवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.91 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1278	0.16	निजी भूमि
1279	0.12	निजी भूमि
1280	0.18	निजी भूमि
1295	0.45	निजी भूमि
1360	0.18	निजी भूमि
1361	0.18	निजी भूमि
1281	0.19	निजी भूमि
1362	0.08	निजी भूमि
1363	0.09	निजी भूमि
1297	0.15	निजी भूमि
1331	0.14	निजी भूमि
1298	0.03	निजी भूमि
1299	0.15	निजी भूमि
1300	0.20	निजी भूमि
1301	0.08	निजी भूमि
1303	0.28	निजी भूमि
1304	0.09	निजी भूमि
1439	0.41	निजी भूमि
1329	0.05	निजी भूमि
1305	0.07	निजी भूमि
1330	0.07	निजी भूमि
1294	0.96	निजी भूमि
1296	0.04	निजी भूमि
1353	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1302	1.20	निजी भूमि
1275	0.16	निजी भूमि
1276	0.01	निजी भूमि
1607	0.14	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 5.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—बोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1381	0.05	निजी भूमि
1382	0.03	निजी भूमि
1811/1	0.01	निजी भूमि
1888	0.02	निजी भूमि
2909/2	0.04	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 023-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकवों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—देवरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.48 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
1600/1	0.14	निजी भूमि			
1617/1	0.06	निजी भूमि			
1619	0.02	निजी भूमि			
1620	0.03	निजी भूमि			
1621	0.07	निजी भूमि			
1622	0.05	निजी भूमि			
1623	0.06	निजी भूमि			
1656	0.29	निजी भूमि			
1624	0.09	निजी भूमि			
1626	0.09	निजी भूमि			
1627	0.02	निजी भूमि			
1625	0.17	निजी भूमि			
1632/1	0.28	निजी भूमि			
1628/1	0.07	निजी भूमि			
1635	0.08	निजी भूमि			
1636	0.09	निजी भूमि			
1637	0.14	निजी भूमि			
1638	0.06	निजी भूमि			
1639	0.12	निजी भूमि			
1653	0.04	निजी भूमि			
1654	0.20	निजी भूमि			
1640	0.07	निजी भूमि			
1641	0.09	निजी भूमि			
1647	0.06	निजी भूमि			
1648	0.06	निजी भूमि			
1646	0.10	निजी भूमि			
1649/1	0.03	निजी भूमि	2	0.590	निजी भूमि
1651/1	0.05	निजी भूमि	3	0.540	निजी भूमि
1649/2	0.03	निजी भूमि	4	1.300	निजी भूमि
1650	0.06	निजी भूमि	5	0.300	निजी भूमि
1651/2	0.05	निजी भूमि	6	0.370	निजी भूमि
1655	0.61	निजी भूमि			
1633	0.09	निजी भूमि			

1634	0.07	निजी भूमि
1652	0.07	निजी भूमि
1705	0.42	निजी भूमि
1708	0.18	निजी भूमि
1707	0.02	निजी भूमि
1709	0.17	निजी भूमि
1710/1	0.12	निजी भूमि
1712/1	0.14	निजी भूमि
1746/1	0.14	निजी भूमि
1794/2	0.14	निजी भूमि
511	0.10	निजी भूमि
1730/1911	0.44	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 5.48

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—देवरा नम्बर 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—झिरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.100 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
2	0.590	निजी भूमि			
3	0.540	निजी भूमि			
4	1.300	निजी भूमि			
5	0.300	निजी भूमि			
6	0.370	निजी भूमि			

कुल रकबा निजी भूमि . . 3.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—श्यामरडाडा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।	(1)	(2)	(3)		
	2253/1		निजी भूमि		
	2253/2	0.20	निजी भूमि		
	2253/3		निजी भूमि		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।	2224	0.02	निजी भूमि		
	2177	0.01	निजी भूमि		
	2176	0.01	निजी भूमि		
प्र. क्र. 072-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।—	2172	0.09	निजी भूमि		
	2163	0.01	निजी भूमि		
	2162	0.25	निजी भूमि		
	2158/1	0.46	निजी भूमि		
	2158/2	0.14	निजी भूमि		
	2159/1		निजी भूमि		
	2159/2	0.63	निजी भूमि		
	2159/3		निजी भूमि		
	2155	0.01	निजी भूमि		
	2156	0.41	निजी भूमि		
	2152	0.05	निजी भूमि		
	2103	0.21	निजी भूमि		
	2102/1		निजी भूमि		
	2102/2	0.54	निजी भूमि		
	2102/3		निजी भूमि		
खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का			
नम्बर	(हेक्टेयर में)	प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
2223	0.02	निजी भूमि	2078	0.58	निजी भूमि
2302	0.29	निजी भूमि	2047	0.82	निजी भूमि
2303	0.15	निजी भूमि	2041	0.11	निजी भूमि
2301	0.10	निजी भूमि	2038	0.02	निजी भूमि
2300	0.73	निजी भूमि	2039	0.01	निजी भूमि
2299/1	0.36	निजी भूमि	2021	0.73	निजी भूमि
2299/2	0.06	निजी भूमि	2013	0.25	निजी भूमि
2296	0.06	निजी भूमि	1976	1.22	निजी भूमि
2295	0.07	निजी भूमि	1975	0.22	निजी भूमि
2294	0.09	निजी भूमि	1977	0.22	निजी भूमि
2293	0.10	निजी भूमि	1973/1		निजी भूमि
2292	0.07	निजी भूमि	1973/2	0.75	निजी भूमि
2290/1	0.02	निजी भूमि	1973/3		निजी भूमि
2290/2	0.10	निजी भूमि	1973/4		निजी भूमि
2282	0.03	निजी भूमि	1200/1क		निजी भूमि
2283	0.02	निजी भूमि	1022/1ख	1.50	निजी भूमि
2285	0.01	निजी भूमि	1200/1ग		निजी भूमि
2276	0.14	निजी भूमि	1200/1 घ		निजी भूमि
2275	0.02	निजी भूमि	1200/2		निजी भूमि
2277	0.02	निजी भूमि	1176	0.04	निजी भूमि
2254	0.14	निजी भूमि	1174	0.58	निजी भूमि
			1172	2.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1171/1	0.30	निजी भूमि	1135/2	1.00	निजी भूमि
1171/2			1136/1	1.56	निजी भूमि
2320/1164	0.11	निजी भूमि	1136/2	0.40	निजी भूमि
2321/1163	0.13	निजी भूमि	1144	0.50	निजी भूमि
1142	0.08	निजी भूमि	1145	0.51	निजी भूमि
1141	0.04	निजी भूमि	1146	0.10	निजी भूमि
1137	0.04	निजी भूमि	1147	0.03	निजी भूमि
1128	0.35	निजी भूमि	1148	0.47	निजी भूमि
1129/1	1.90	निजी भूमि	1151	0.29	निजी भूमि
1129/2	0.84	निजी भूमि	1150	0.69	निजी भूमि
1129/3	2.00	निजी भूमि	1149	0.45	निजी भूमि
1129/4	1.00	निजी भूमि	1152	0.58	निजी भूमि
902	0.67	निजी भूमि	1160	0.34	निजी भूमि
898	0.04	निजी भूमि	1153	1.09	निजी भूमि
897	0.28	निजी भूमि	1158	0.42	निजी भूमि
857	0.15	निजी भूमि	1156	0.43	निजी भूमि
856	0.47	निजी भूमि	1155/1	0.20	निजी भूमि
860	0.04	निजी भूमि	1155/2	0.16	निजी भूमि
861	0.42	निजी भूमि	1155/3	0.16	निजी भूमि
862/2325	0.15	निजी भूमि	1155/4	0.19	निजी भूमि
862	0.07	निजी भूमि	1154/1	0.02	निजी भूमि
863	0.16	निजी भूमि	1154/2	0.02	निजी भूमि
863/2326/1	0.04	निजी भूमि	1154/3	0.02	निजी भूमि
863/2326/2	0.12	निजी भूमि	1154/4	0.02	निजी भूमि
864/1	0.03	निजी भूमि	1159	0.88	निजी भूमि
864/2	0.07	निजी भूमि	1157	2.00	निजी भूमि
867/1	0.12	निजी भूमि	2020	0.03	निजी भूमि
867/2			2019	0.17	निजी भूमि
868	0.27	निजी भूमि	2015	0.67	निजी भूमि
869	0.24	निजी भूमि	2018	0.28	निजी भूमि
799	0.05	निजी भूमि	2040	0.71	निजी भूमि
800	0.18	निजी भूमि	2017	0.41	निजी भूमि
801	0.16	निजी भूमि	2016	0.06	निजी भूमि
802	0.16	निजी भूमि	2014/1	0.46	निजी भूमि
807	0.14	निजी भूमि	2014/2	0.33	निजी भूमि
812	0.35	निजी भूमि	2014/3	0.33	निजी भूमि
842/1	0.25	निजी भूमि	2042	0.12	निजी भूमि
844/1	0.50	निजी भूमि	2043	0.12	निजी भूमि
844/2	0.40	निजी भूमि	2044	0.13	निजी भूमि
844/3	0.10	निजी भूमि	2045	0.14	निजी भूमि
864/2322	0.08	निजी भूमि	2046	0.25	निजी भूमि
894/1	0.05	निजी भूमि	2174	0.16	निजी भूमि
854	0.59	निजी भूमि	2173/1	0.09	निजी भूमि
855	1.13	निजी भूमि	2173/2	0.03	निजी भूमि
1135/1	0.33	निजी भूमि	2173/3	0.04	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2173/4	0.04	निजी भूमि	(ग) ग्राम—उमरिया ग्यावर (देईधर)		
2278	0.40	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.700 हेक्टर.		
2279/1	0.20	निजी भूमि	खसरा कुल अर्जित रकबा		भूमि का
2279/2	0.14	निजी भूमि	नम्बर (हेक्टेयर में)		प्रकार
2279/3	0.16	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
2281	0.06	निजी भूमि	1093/8	0.020	निजी भूमि
2280/1	0.03	निजी भूमि	1497/2	0.600	निजी भूमि
2280/2	0.02	निजी भूमि	1502/2	0.300	निजी भूमि
2280/3	0.02	निजी भूमि	1505	0.200	निजी भूमि
2315/1	0.55	निजी भूमि	1506	0.400	निजी भूमि
2315/2	0.35	निजी भूमि	1507	0.700	निजी भूमि
2315/3	0.37	निजी भूमि	1509/1	1.400	निजी भूमि
2291/1	0.05	निजी भूमि	1509/2		निजी भूमि
2292/2	0.04	निजी भूमि	1510	0.560	निजी भूमि
2313	0.40	निजी भूमि	1548	0.270	निजी भूमि
2312	0.40	निजी भूमि	1549	0.070	निजी भूमि
2311	0.40	निजी भूमि	1555	0.250	निजी भूमि
2310	0.66	निजी भूमि	1556	0.730	निजी भूमि
2309/1	0.62	निजी भूमि	1584	0.250	निजी भूमि
2309/2	0.14	निजी भूमि	1585	0.180	निजी भूमि
2308	1.63	निजी भूमि	1586	0.070	निजी भूमि
2304	0.40	निजी भूमि	1588	0.400	निजी भूमि
2306	0.43	निजी भूमि	1598	0.090	निजी भूमि
2032	0.05	निजी भूमि	1599	0.070	निजी भूमि
2077	0.01	निजी भूमि	1600	0.020	निजी भूमि
870	0.02	निजी भूमि	1601	0.180	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		54.00	1602	0.120	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पवर्ड मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			1603	0.130	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			1604	0.010	निजी भूमि
प्र. क्र. 073-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			1611	0.150	निजी भूमि
अनुसूची			1612	1.360	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			1614	0.460	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			1615	0.620	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर			1616	1.090	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . **10.700**

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पवर्ड मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 084-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—सुपन्था
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—30.130 हेक्टर.

खसरा कुल अर्जित रकबा भूमि का
नम्बर (हेक्टेयर में) प्रकार

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
249	0.250	निजी भूमि	110	1.100	निजी भूमि
250	0.100	निजी भूमि	111	0.070	निजी भूमि
251	0.600	निजी भूमि	112	0.460	निजी भूमि
252	0.310	निजी भूमि	113	0.060	निजी भूमि
253	1.750	निजी भूमि	114	0.480	निजी भूमि
255	0.230	निजी भूमि	115	0.050	निजी भूमि
259	1.150	निजी भूमि	116	0.120	निजी भूमि
103	0.340	निजी भूमि	117	0.200	निजी भूमि
105	2.540	निजी भूमि	118	0.060	निजी भूमि
106	0.060	निजी भूमि	119	0.770	निजी भूमि
107	0.830	निजी भूमि	97/2	0.200	निजी भूमि
108	0.060	निजी भूमि	131	0.050	निजी भूमि
109	0.230	निजी भूमि	132	0.150	निजी भूमि
256	1.590	निजी भूमि	133	0.050	निजी भूमि
257	0.940	निजी भूमि	134	0.420	निजी भूमि
258	0.940	निजी भूमि	137/1	0.120	निजी भूमि
261/2	0.650	निजी भूमि	97/1	0.400	निजी भूमि
262/1	0.120	निजी भूमि	135	0.060	निजी भूमि
262/2	0.120	निजी भूमि	136	0.300	निजी भूमि
98	0.100	निजी भूमि	137/2	0.040	निजी भूमि
99	0.030	निजी भूमि	183	1.160	निजी भूमि
101	0.430	निजी भूमि	182	0.780	निजी भूमि
120	1.140	निजी भूमि	146	0.090	निजी भूमि
121	0.060	निजी भूमि	147	0.090	निजी भूमि
122	0.220	निजी भूमि	179	0.060	निजी भूमि
123	0.180	निजी भूमि	180	1.040	निजी भूमि
124	0.060	निजी भूमि	200	0.740	निजी भूमि
125	0.540	निजी भूमि	184	0.810	निजी भूमि
126	0.050	निजी भूमि	158	0.750	निजी भूमि
127	0.450	निजी भूमि	170	0.060	निजी भूमि
128	0.060	निजी भूमि	173	0.060	निजी भूमि
129	1.000	निजी भूमि	174	0.070	निजी भूमि
130	0.100	निजी भूमि	177	0.120	निजी भूमि
102	0.400	निजी भूमि	169	0.020	निजी भूमि
			171	0.070	निजी भूमि
			172	0.030	निजी भूमि
			175	0.030	निजी भूमि
			176	0.030	निजी भूमि
			178	0.130	निजी भूमि
			168	1.200	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि ..	30.130	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 140-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पन्ना
- (ग) ग्राम—अकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.290 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
33/2	1.630	निजी भूमि
34/4	1.550	निजी भूमि
34/3	1.590	निजी भूमि
34/2	2.000	निजी भूमि
34/1	2.000	निजी भूमि
32/1	0.380	निजी भूमि
46	0.110	निजी भूमि
38/2	0.030	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 9.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—सिरस्वाहा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 160-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—बरतला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—50.03 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1063	0.11	निजी भूमि
1083	0.02	निजी भूमि
1065/1	0.11	निजी भूमि
1066/1	0.16	निजी भूमि
1069/1	0.01	निजी भूमि
1072/1	0.06	निजी भूमि
1073/1	0.01	निजी भूमि
1074/1	0.05	निजी भूमि
1075/1	0.03	निजी भूमि
1076/1	0.02	निजी भूमि
1077/1	0.24	निजी भूमि
1078	0.72	निजी भूमि
1079/1	0.15	निजी भूमि
1080/1	0.25	निजी भूमि
1081/1	0.09	निजी भूमि
1082/1	0.09	निजी भूमि
1093/1	0.16	निजी भूमि
1094/1	0.15	निजी भूमि
1095/1	0.09	निजी भूमि
1065/2	0.10	निजी भूमि
1066/2	0.16	निजी भूमि
1069/2	0.02	निजी भूमि
1072/2	0.05	निजी भूमि
1073/2	0.01	निजी भूमि
1074/2	0.06	निजी भूमि
1075/2	0.02	निजी भूमि
1076/2	0.02	निजी भूमि
1077/2	0.25	निजी भूमि
1079/2	0.15	निजी भूमि
1080/2	0.24	निजी भूमि
1081/2	0.09	निजी भूमि
1082/2	0.08	निजी भूमि
1093/2	0.17	निजी भूमि
1094/2	0.15	निजी भूमि
1095/2	0.09	निजी भूमि
1096	1.25	निजी भूमि
1097	0.15	निजी भूमि
1098	0.04	निजी भूमि
1100	0.07	निजी भूमि
1115	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1116	0.13	निजी भूमि	1427	0.06	निजी भूमि
1102	0.06	निजी भूमि	1428	0.10	निजी भूमि
1103	0.03	निजी भूमि	1258	0.09	निजी भूमि
1105	0.06	निजी भूमि	1259	0.08	निजी भूमि
1107	0.07	निजी भूमि	1453	0.03	निजी भूमि
1109	0.05	निजी भूमि	1261	0.25	निजी भूमि
1110	0.04	निजी भूमि	1262	0.08	निजी भूमि
1111	0.04	निजी भूमि	1265	0.01	निजी भूमि
1112	0.07	निजी भूमि	1481	0.01	निजी भूमि
1113	0.20	निजी भूमि	1482	0.13	निजी भूमि
1114	0.13	निजी भूमि	1483	0.09	निजी भूमि
1117	0.07	निजी भूमि	1263	0.09	निजी भूमि
1118	0.10	निजी भूमि	1264	0.01	निजी भूमि
1119	0.13	निजी भूमि	1266	0.12	निजी भूमि
1120	0.21	निजी भूमि	1267	0.11	निजी भूमि
1121	0.05	निजी भूमि	1268	0.07	निजी भूमि
1122	0.06	निजी भूमि	1270	0.10	निजी भूमि
1127	0.04	निजी भूमि	1271	0.09	निजी भूमि
1128	0.09	निजी भूमि	1273	0.10	निजी भूमि
1129	0.10	निजी भूमि	1269	0.15	निजी भूमि
1123	0.14	निजी भूमि	1272	0.06	निजी भूमि
1124	0.05	निजी भूमि	1274	0.17	निजी भूमि
1126	0.03	निजी भूमि	1364	0.12	निजी भूमि
1130	0.13	निजी भूमि	1365	0.23	निजी भूमि
1131	0.13	निजी भूमि	1375	0.24	निजी भूमि
1144	0.21	निजी भूमि	1484	0.16	निजी भूमि
1145	0.30	निजी भूमि	1487	0.12	निजी भूमि
1143/2	0.77	निजी भूमि	1488	0.08	निजी भूमि
1146	0.45	निजी भूमि	1491	0.02	निजी भूमि
1147	0.18	निजी भूमि	1343	0.10	निजी भूमि
1148	0.24	निजी भूमि	1369	0.09	निजी भूमि
1149	0.14	निजी भूमि	1344	0.16	निजी भूमि
1150	0.31	निजी भूमि	1346	0.15	निजी भूमि
1151	0.09	निजी भूमि	1348	0.01	निजी भूमि
1152	0.09	निजी भूमि	1353	0.73	निजी भूमि
1153	0.07	निजी भूमि	1354	0.25	निजी भूमि
1154	0.10	निजी भूमि	1359	0.07	निजी भूमि
1155	0.06	निजी भूमि	1360	0.11	निजी भूमि
1157	1.19	निजी भूमि	1361	0.06	निजी भूमि
1158	0.26	निजी भूमि	1362	0.07	निजी भूमि
1242	0.54	निजी भूमि	1363	0.53	निजी भूमि
1252	0.08	निजी भूमि	1390/1	1.52	निजी भूमि
1260	0.03	निजी भूमि	1366	0.09	निजी भूमि
1415	0.15	निजी भूमि	1367	0.27	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1368	0.16	निजी भूमि	1420	0.08	निजी भूमि
1373	0.12	निजी भूमि	1421	0.11	निजी भूमि
1370	0.12	निजी भूमि	1423	0.04	निजी भूमि
1398	0.34	निजी भूमि	1425	0.13	निजी भूमि
1399	0.09	निजी भूमि	1426	0.11	निजी भूमि
1400	0.10	निजी भूमि	1439	0.08	निजी भूमि
1371	0.05	निजी भूमि	1518	0.06	निजी भूमि
1372	0.07	निजी भूमि	1519	0.11	निजी भूमि
1374	0.07	निजी भूमि	1429	0.06	निजी भूमि
1381	0.13	निजी भूमि	1430	0.18	निजी भूमि
1382	0.13	निजी भूमि	1431	0.13	निजी भूमि
1413	0.07	निजी भूमि	1432	0.10	निजी भूमि
1414	0.09	निजी भूमि	1468	0.12	निजी भूमि
1376	0.04	निजी भूमि	1469	0.13	निजी भूमि
1377	0.13	निजी भूमि	1433	0.20	निजी भूमि
1378	0.15	निजी भूमि	1434	0.14	निजी भूमि
1379	0.07	निजी भूमि	1435	0.16	निजी भूमि
1380	0.08	निजी भूमि	1466	0.15	निजी भूमि
1383	0.15	निजी भूमि	1467	0.10	निजी भूमि
1384	0.07	निजी भूमि	1473	0.10	निजी भूमि
1385	0.08	निजी भूमि	1474	0.15	निजी भूमि
1386	0.10	निजी भूमि	1479	0.02	निजी भूमि
1387	0.08	निजी भूमि	1507	0.10	निजी भूमि
1388	0.17	निजी भूमि	1508	0.06	निजी भूमि
1392	0.59	निजी भूमि	1509	0.06	निजी भूमि
1393	0.78	निजी भूमि	1510	0.07	निजी भूमि
1442	0.05	निजी भूमि	1511	0.08	निजी भूमि
1444	0.06	निजी भूमि	1512	0.11	निजी भूमि
1446	0.47	निजी भूमि	1529	0.06	निजी भूमि
1447	0.34	निजी भूमि	1530	0.16	निजी भूमि
1448	0.69	निजी भूमि	1535	0.10	निजी भूमि
1449	0.16	निजी भूमि	1546	0.07	निजी भूमि
1450	1.00	निजी भूमि	1547	0.04	निजी भूमि
1451	1.81	निजी भूमि	1575	0.10	निजी भूमि
1390/2	0.24	निजी भूमि	1576	0.11	निजी भूमि
1391	0.72	निजी भूमि	1577	0.05	निजी भूमि
1394	0.09	निजी भूमि	1578	0.06	निजी भूमि
1395	0.08	निजी भूमि	1580	0.06	निजी भूमि
1396	0.08	निजी भूमि	1436	0.13	निजी भूमि
1397	0.08	निजी भूमि	1437	0.10	निजी भूमि
1416	0.07	निजी भूमि	1438	0.13	निजी भूमि
1417	0.07	निजी भूमि	1440	0.46	निजी भूमि
1418	0.08	निजी भूमि	1454	0.09	निजी भूमि
1419	0.06	निजी भूमि	1463	0.10	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1455	0.06	निजी भूमि	1555	0.07	निजी भूमि
1456	0.06	निजी भूमि	1556	0.06	निजी भूमि
1457	0.07	निजी भूमि	1557	0.06	निजी भूमि
1458	0.06	निजी भूमि	1558	0.07	निजी भूमि
1459	0.14	निजी भूमि	1559	0.07	निजी भूमि
1460	0.06	निजी भूमि	1560	0.08	निजी भूमि
1461	0.08	निजी भूमि	1561	0.13	निजी भूमि
1517/2	0.04	निजी भूमि	1562	0.10	निजी भूमि
1462	0.09	निजी भूमि	1563	0.08	निजी भूमि
1464	0.07	निजी भूमि	1564	0.16	निजी भूमि
1465	0.12	निजी भूमि	1565	0.13	निजी भूमि
1513	0.14	निजी भूमि	1566	0.06	निजी भूमि
1514	0.05	निजी भूमि	1568	0.07	निजी भूमि
1515	0.08	निजी भूमि	1569	0.06	निजी भूमि
1516	0.10	निजी भूमि	1570	0.06	निजी भूमि
1517/1	0.03	निजी भूमि	1571	0.06	निजी भूमि
1470/1	0.07	निजी भूमि	1584	0.05	निजी भूमि
1471/1	0.04	निजी भूमि	1585	0.06	निजी भूमि
1475/1	0.05	निजी भूमि	1498	0.12	निजी भूमि
1476/1	0.04	निजी भूमि	1499	0.11	निजी भूमि
1477/1	0.06	निजी भूमि	1500	0.16	निजी भूमि
1503/1	0.08	निजी भूमि	1502	0.21	निजी भूमि
1504/1	0.05	निजी भूमि	1532	0.09	निजी भूमि
1505/1	0.05	निजी भूमि	1501	0.09	निजी भूमि
1506/1	0.05	निजी भूमि	1531	0.12	निजी भूमि
1470/2	0.06	निजी भूमि	1533	0.17	निजी भूमि
1471/2	0.05	निजी भूमि	1534	0.10	निजी भूमि
1475/2	0.05	निजी भूमि	1549	0.09	निजी भूमि
1476/2	0.03	निजी भूमि	1550	0.18	निजी भूमि
1477/2	0.07	निजी भूमि	1551	0.08	निजी भूमि
1503/2	0.07	निजी भूमि	1552	0.08	निजी भूमि
1504/2	0.05	निजी भूमि	1553	0.07	निजी भूमि
1505/2	0.05	निजी भूमि	1520	0.10	निजी भूमि
1506/2	0.06	निजी भूमि	1521	0.05	निजी भूमि
1485	0.11	निजी भूमि	1522	0.06	निजी भूमि
1486	0.07	निजी भूमि	1523	0.06	निजी भूमि
1489	0.06	निजी भूमि	1524	0.04	निजी भूमि
1492	0.06	निजी भूमि	1525	0.08	निजी भूमि
1493	0.16	निजी भूमि	1526	0.08	निजी भूमि
1494	0.13	निजी भूमि	1527	0.18	निजी भूमि
1495	0.17	निजी भूमि	1528	0.05	निजी भूमि
1496	0.13	निजी भूमि	1536	0.09	निजी भूमि
1497	0.12	निजी भूमि	1537	0.05	निजी भूमि
1554	0.08	निजी भूमि	1538	0.08	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1539	0.05	निजी भूमि	1613	0.08	निजी भूमि
1540	0.10	निजी भूमि	1614	0.06	निजी भूमि
1541	0.09	निजी भूमि	1615	0.04	निजी भूमि
1542	0.04	निजी भूमि	1617	0.06	निजी भूमि
1543	0.06	निजी भूमि	1618	0.06	निजी भूमि
1544	0.06	निजी भूमि	1619	0.05	निजी भूमि
1545	0.13	निजी भूमि	1620	0.06	निजी भूमि
1548	0.05	निजी भूमि	1624	0.15	निजी भूमि
1596	0.08	निजी भूमि	1625	0.05	निजी भूमि
1597	0.25	निजी भूमि	1626	0.06	निजी भूमि
1598	0.07	निजी भूमि	1627	0.07	निजी भूमि
1567	0.04	निजी भूमि	1628	0.05	निजी भूमि
1572	0.13	निजी भूमि	1629	0.07	निजी भूमि
1573	0.10	निजी भूमि	1630	0.05	निजी भूमि
1574	0.06	निजी भूमि	1631	0.18	निजी भूमि
1579	0.10	निजी भूमि	1632	0.05	निजी भूमि
1581	0.10	निजी भूमि	1633	0.07	निजी भूमि
1582	0.12	निजी भूमि	1634	0.09	निजी भूमि
1583	0.10	निजी भूमि	1635	0.11	निजी भूमि
1586	0.07	निजी भूमि	1636	0.11	निजी भूमि
1587	0.78	निजी भूमि	1067	0.30	निजी भूमि
1588	0.14	निजी भूमि	1068	0.21	निजी भूमि
1589	0.07	निजी भूमि	1071	0.10	निजी भूमि
1592	0.13	निजी भूमि	कुल रकवा निजी भूमि . .		50.03
1593	0.09	निजी भूमि			
1594	0.07	निजी भूमि			
1595	0.08	निजी भूमि			
1590	0.03	निजी भूमि			
1591	0.16	निजी भूमि			
1622	1.02	निजी भूमि			
1599	0.10	निजी भूमि			
1600	0.04	निजी भूमि			
1601	0.05	निजी भूमि			
1602	0.09	निजी भूमि			
1603	0.05	निजी भूमि			
1604	0.03	निजी भूमि			
1605	0.06	निजी भूमि			
1606	0.10	निजी भूमि			
1607	0.05	निजी भूमि			
1608	0.04	निजी भूमि			
1609	0.04	निजी भूमि			
1610	0.06	निजी भूमि			
1611	0.09	निजी भूमि			
1612	0.06	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पर्वई

- (ग) ग्राम—बरतला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.65 हेक्टर.

(क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)	अनुसूची		
			(1)	(2)	(3)
16/2	0.19	निजी भूमि	(क) जिला—पटना		
17	0.20	निजी भूमि	(ख) तहसील—पवई		
18/1	0.30	निजी भूमि	(ग) ग्राम—पटना		
18/2	0.71	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—39.24 हेक्टर.		
19	0.74	निजी भूमि	खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
22	0.33	निजी भूमि	नम्बर (1)	(हेक्टेयर में) (2)	प्रकार (3)
21	0.51	निजी भूमि	611	0.13	निजी भूमि
23	1.20	निजी भूमि	1372	0.29	निजी भूमि
24	0.22	निजी भूमि	1393	0.35	निजी भूमि
25	0.55	निजी भूमि	612/1	0.27	निजी भूमि
26	0.25	निजी भूमि	612/2	0.24	निजी भूमि
73	0.05	निजी भूमि	613	1.45	निजी भूमि
74	1.00	निजी भूमि	1333	0.12	निजी भूमि
75	0.69	निजी भूमि	614/2	0.48	निजी भूमि
76	0.50	निजी भूमि	615/1	0.86	निजी भूमि
222	0.15	निजी भूमि	615/2	0.40	निजी भूमि
227	0.05	निजी भूमि	615/3	0.40	निजी भूमि
228	0.20	निजी भूमि	616	0.33	निजी भूमि
233	0.18	निजी भूमि	1412	1.19	निजी भूमि
235	0.25	निजी भूमि	617/1	0.20	निजी भूमि
674	0.06	निजी भूमि	617/2	0.20	निजी भूमि
678	0.20	निजी भूमि	619	0.62	निजी भूमि
679	0.12	निजी भूमि	631	0.13	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	<u>8.65</u>		632	0.47	निजी भूमि
			633	0.66	निजी भूमि
			634/1	1.03	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			634/2 क	0.52	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पटना में किया जा सकता है.			634/2ख	0.50	निजी भूमि
			635	1.32	निजी भूमि
			638	0.35	निजी भूमि
			655	0.49	निजी भूमि
			657	0.02	निजी भूमि
			639	1.36	निजी भूमि
			641	0.75	निजी भूमि
			642	1.10	निजी भूमि
			643/2	0.34	निजी भूमि

प्र. क्र. 166-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1417	0.39	निजी भूमि	1398	0.77	निजी भूमि
644	0.10	निजी भूमि	1400	0.15	निजी भूमि
645	0.40	निजी भूमि	1401	0.90	निजी भूमि
648	0.18	निजी भूमि	1402	0.57	निजी भूमि
646	0.30	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	39.24	
647	0.05	निजी भूमि			
649	0.03	निजी भूमि			
1330	0.06	निजी भूमि			
1363	0.25	निजी भूमि			
1364	0.15	निजी भूमि			
1377	0.50	निजी भूमि			
1365	0.34	निजी भूमि			
1368	0.19	निजी भूमि			
1366	0.59	निजी भूमि			
1369	0.80	निजी भूमि			
1370	0.31	निजी भूमि			
1371/1	0.40	निजी भूमि			
1373	0.29	निजी भूमि			
1396/1	0.12	निजी भूमि			
1374	0.32	निजी भूमि			
1421	0.96	निजी भूमि			
1374/1560	0.31	निजी भूमि			
1376	0.91	निजी भूमि			
1399	0.75	निजी भूमि			
1384/1 क	0.10	निजी भूमि			
1384/1 ख	0.65	निजी भूमि			
1384/2	0.40	निजी भूमि	खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
1385/1	0.29	निजी भूमि	नम्बर	(हेक्टेयर में)	प्रकार
1551	0.36	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
1385/2	0.47	निजी भूमि	390/1	0.160	निजी भूमि
1385/3	0.90	निजी भूमि	385/2	0.140	निजी भूमि
1386/1	0.12	निजी भूमि	388	0.030	निजी भूमि
1386/2	0.05	निजी भूमि	552	0.020	निजी भूमि
1390	2.02	निजी भूमि	386	0.030	निजी भूमि
1392	2.05	निजी भूमि	401	0.010	निजी भूमि
1394	0.43	निजी भूमि	387	0.010	निजी भूमि
1395/1	0.31	निजी भूमि	395	0.020	निजी भूमि
1395/2	0.31	निजी भूमि	391/1	0.030	निजी भूमि
1413	0.56	निजी भूमि	554/1	0.090	निजी भूमि
1396/2	0.23	निजी भूमि	394	0.010	निजी भूमि
1397	0.64	निजी भूमि	398	0.010	निजी भूमि
1409	0.38	निजी भूमि	397	0.100	निजी भूमि
1416	0.66	निजी भूमि	402	0.050	निजी भूमि
1497	0.30	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 170-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—अजयगढ़
- (ग) ग्राम—बरियारपुर कुर्मियान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.220 हेक्टर।

(1)	(2)	(3)	भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है—
			अनुसूची
415/1	0.020	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—
420	0.060	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना
421	0.110	निजी भूमि	(ख) तहसील—गुनौर
435	0.010	निजी भूमि	(ग) ग्राम—धनोखर
422/1	0.040	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.620 हेक्टर.
422/2	0.030	निजी भूमि	खसरा कुल अर्जित रकबा भूमि का
423	0.050	निजी भूमि	नम्बर (हेक्टेयर में) प्रकार
424	0.050	निजी भूमि	(1) (2) (3)
436	0.030	निजी भूमि	
446	0.060	निजी भूमि	759 0.090 निजी भूमि
488	0.050	निजी भूमि	665 0.080 निजी भूमि
448	0.060	निजी भूमि	531/1 0.070 निजी भूमि
457	0.010	निजी भूमि	547/1 0.060 निजी भूमि
449/1	0.010	निजी भूमि	666 0.040 निजी भूमि
450	0.050	निजी भूमि	667 0.060 निजी भूमि
451	0.040	निजी भूमि	669 0.060 निजी भूमि
454/1	0.020	निजी भूमि	668 0.070 निजी भूमि
455/2	0.050	निजी भूमि	670 0.050 निजी भूमि
458	0.030	निजी भूमि	672 0.100 निजी भूमि
491	0.020	निजी भूमि	673 0.030 निजी भूमि
502	0.080	निजी भूमि	524 0.240 निजी भूमि
459	0.040	निजी भूमि	531/2 0.070 निजी भूमि
484	0.030	निजी भूमि	545 0.040 निजी भूमि
486	0.030	निजी भूमि	546/2 0.080 निजी भूमि
487	0.070	निजी भूमि	547/2 0.050 निजी भूमि
489	0.030	निजी भूमि	546/1 0.020 निजी भूमि
504	0.040	निजी भूमि	551 0.130 निजी भूमि
490	0.060	निजी भूमि	197 0.090 निजी भूमि
514	0.020	निजी भूमि	189 0.080 निजी भूमि
515	0.100	निजी भूमि	188 0.110 निजी भूमि
503	0.080	निजी भूमि	
516	0.010	निजी भूमि	
519	0.080	निजी भूमि	
520	0.020	निजी भूमि	
550	0.020	निजी भूमि	
कुल रकबा निजी भूमि . . .			कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 199-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 200-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—श्यामरडाडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.060 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
764	0.120	निजी भूमि
765/1	0.070	निजी भूमि
765/4	0.070	निजी भूमि
765/2	0.070	निजी भूमि
765/5	0.070	निजी भूमि
739/1	0.020	निजी भूमि
738/1 क	0.150	निजी भूमि
737	0.010	निजी भूमि
765/3	0.070	निजी भूमि
738/1 ख	0.150	निजी भूमि
736/2	0.030	निजी भूमि
216	0.010	निजी भूमि
217	0.350	निजी भूमि
218	0.010	निजी भूमि
250/1	0.010	निजी भूमि
250/2	0.010	निजी भूमि
248	0.130	निजी भूमि
245/1	0.010	निजी भूमि
249/2	0.080	निजी भूमि
245/2	0.010	निजी भूमि
249/2	0.080	निजी भूमि
243/1 क	0.120	निजी भूमि
242/1 ख	0.010	निजी भूमि
243/3	0.230	निजी भूमि
243/4	0.150	निजी भूमि
239/2	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.060</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 201-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—भट्टगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.680 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
464	0.010	निजी भूमि
463/2	0.050	निजी भूमि
463/1	0.050	निजी भूमि
435	0.010	निजी भूमि
436	0.090	निजी भूमि
433/1	0.010	निजी भूमि
433/2	0.010	निजी भूमि
439	0.100	निजी भूमि
440	0.020	निजी भूमि
441/2	0.150	निजी भूमि
441/1	0.150	निजी भूमि
425	0.020	निजी भूमि
376	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.680</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 209-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पन्ना
- (ग) ग्राम—पहाड़ीखेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.02 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
134	0.18	निजी भूमि	254/2	0.050	निजी भूमि
386/1	0.06	निजी भूमि	255/2	0.040	निजी भूमि
386/2	0.06	निजी भूमि	254/3	0.050	निजी भूमि
383	0.02	निजी भूमि	255/3	0.040	निजी भूमि
364	0.35	निजी भूमि	254/4	0.050	निजी भूमि
152	0.10	निजी भूमि	255/4	0.040	निजी भूमि
151	0.13	निजी भूमि	255/1	0.040	निजी भूमि
148	0.12	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	0.360	
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.02				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 210-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—निवहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.360 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
134	0.18	निजी भूमि	255/2	0.040	निजी भूमि
386/1	0.06	निजी भूमि	254/3	0.050	निजी भूमि
386/2	0.06	निजी भूमि	255/3	0.040	निजी भूमि
383	0.02	निजी भूमि	254/4	0.050	निजी भूमि
364	0.35	निजी भूमि	255/4	0.040	निजी भूमि
152	0.10	निजी भूमि	255/1	0.040	निजी भूमि
151	0.13	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	0.360	
148	0.12	निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.02				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 25 जुलाई 2013

पत्र क्र. 1733-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—अमरैया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.051 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(2)
211/1	0.048	0.016
217/2	0.003	0.016
योग . .	<u>0.051</u>	<u>0.033</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1735-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—महिदलकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —4.796 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
107	0.070
111	0.035
101	0.115
117	0.056
121	0.130
122	0.008
99	0.033
123	0.033
89	0.016
90	0.016
91	0.016
92	0.016
93	0.212
84	0.076
83	0.012
158	0.152
159	0.005
233	0.100
234	0.210
262	0.145
576/3क/2	0.068
576/3क/3	
650/2	0.067
102	0.016
116	0.016
108	0.020
157	0.020
741	0.029

(1)	(2)	(1)	(2)
743	0.084	401	0.032
744	0.096	397	0.120
1192	0.004	385	0.048
745	0.041	342	0.032
735	0.020	350	0.042
801	0.173	349	0.050
800	0.004	834	0.004
802	0.077		योग . . 4.796
806	0.027		
804	0.135	(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।	
796	0.042	(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।	
814	0.132	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
794	0.060		
791	0.125		
821	0.020	पत्र क्र. 1737-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
822	0.066		
787	0.157		
825	0.010		
785	0.087		
784	0.020		
833	0.022		
782	0.122		
835	0.014		
838	0.096		
839	0.056		
840	0.030		
841	0.037		
842	0.074	(1) भूमि का वर्णन—	
455	0.070	(क) जिला—सतना	
444	0.077	(ख) तहसील—कोटर	
445	0.052	(ग) ग्राम—देवमऊ दलदल	
443	0.052	(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.379 हेक्टेयर।	
442	0.109		
440	0.060	खसरा	अर्जित रकबा
860	0.020	नम्बर	(हेक्टेयर में)
431	0.088	(1)	(2)
435	0.023	1203/3836	0.130
432	0.032	1203	0.045
391	0.048	3192/2	0.181
390	0.032	3144	0.016
1074	0.104	519	0.029
388	0.030	520/2	0.032
395	0.148		

(1)	(2)
518	0.045
517	0.200
495	0.060
496	0.043
423	0.067
421	0.110
403	0.162
414	0.074
3327	0.475
122	0.027
105	0.266
2764	0.040
2765	0.044
2766	0.128
3038	0.056
2845/2965	0.010
2963	0.196
2031	0.032
2761	0.030
2492	0.032
2491	0.070
2490	0.058
2488	0.022
2489	0.048
2487	0.038
2486	0.096
2166/1	0.007
2167/1	0.097
1273	0.112
1272	0.052
1270	0.184
1741/3	0.065
योग	. . 3.379

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु,
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1739-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—मझियार कोटर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.428 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)

192/2/1	0.041
513/2/ख	0.104
653/2	0.131
653/1क/1ख	0.132
570/1क/1	0.020
योग . .	0.428

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु,
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1741-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर

- (ग) ग्राम—सोनवर्धा कोठार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.776 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
422	0.068
426	0.040
427	0.056
408	0.050
407	0.110
405	0.050
404	0.050
402	0.040
401	0.010
182	0.072
185	0.105
189	0.068
191	0.025
192	0.032
योग . .	<u>0.776</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
 (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
 (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1743-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

- (ग) ग्राम—डेंगरहट
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.077 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
332	0.090
552	0.020
554	0.042
645	0.066
647	0.054
643	0.144
568	0.096
620	0.018
569	0.080
617	0.060
618	0.064
614	0.018
615	0.009
584	0.174
585	0.013
599	0.024
600	0.090
601	0.015
योग . .	<u>1.077</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
 (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
 (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1745-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—महिदल खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.025 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/2/k	0.025
योग . .	<u>0.025</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 1747-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—किटहा कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.467 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147	0.033
144	0.015

	(1)	(2)
143		0.016
142		0.040
77		0.078
78		0.010
79		0.021
384		0.048
519/3		0.054
635		0.080
568		0.072
योग . .		<u>0.467</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 1749-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—गाजन कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.662 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202	0.075
171	0.069
171/785/2	0.016
171/785/1	0.050
179/1ख	0.070
39/2	0.020

(1)	(2)
104	0.036
106	0.028
110	0.028
111	0.018
112	0.063
9	0.045
120	0.050
121	0.044
122	0.004
123	0.016
124	0.030
योग . .	<u>0.662</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 1751-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाधेलान
- (ग) ग्राम—चोरमारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.050 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2135	0.030
547	0.020
योग . .	<u>0.050</u>

प. क्र. 1753-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाधेलान
- (ग) ग्राम—सगौनी कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.432 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
445	0.060
446	0.048
436	0.018
437	0.034
438	0.036
443/2	0.004
439	0.055
442	0.030
447	0.048
432	0.053
464	0.046
योग . .	<u>0.432</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।

- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 1755-प्रका. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—बेला कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.090 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276	0.090
योग .	<u>0.090</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2013

प्रका. 1779-प्रका. भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर

- (ग) ग्राम—अनंतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.06 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1027	0.06
योग .	<u>0.06</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बोदा वितरक नहर के अन्तर्गत अजगरहा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्रका. 1781-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—तेंदुन वृत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.140 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1205	0.006
1206	0.026
1207	0.008
1212	0.010
1213	0.006
1214	0.008
1215	0.010
1216	0.024
1322	0.008
1323	0.008
1324	0.026
योग .	<u>0.140</u>

क्र. 1783-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) नगर/ग्राम—गढ़वा (माधौसिंह), जं.नं. 150.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —2.100 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
5	0.026
6	0.014
7	0.120
8	0.080
15	0.048
16	0.062
17	0.009
18	0.154
24	0.120
25	0.080
40	0.072
41	0.056
42	0.027
43	0.063
45	0.144
51	0.130
52	0.002
53	0.008
54	0.120
57	0.006
58	0.090
59	0.120
60	0.120
255	0.209
256	0.220
योग . .	2.100
शासकीय. .	निर्दक
कुल योग. .	2.100

क्र. 1789-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) नगर/ग्राम—दूबी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.076 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
140	0.012
168	0.045
186	0.019
योग . .	0.076

क्र. 1791-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—माड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.083 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
317	0.004
324	0.004
326	0.014
327	0.015
328	0.016
329	0.020
332	0.010
योग . .	0.083

रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 1807-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—पड़खुरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.106 हे. (छूटा हुआ रकबा)

खसरा नम्बर	कुल रकबा (1) (2)	अर्जित रकबा (हे.में) (3) (4)	रिमार्क
698	0.30	0.042	छूटा हुआ रकबा
949	0.39	0.064	छूटा हुआ रकबा
योग	0.69 हे.	0.106 हे.	
निजी भूमि	0.69 हे.	0.106 हे.	
शास. भूमि	-	-	
महायोग	0.69	0.106 हे.	

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के पड़खुरी कोठार अन्तर्गत भमरहा टोला सब माइनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1809-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—बुढ़गौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.207 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में) (1) (2)	अर्जित रकबा (हे. में) (3) (4)	रिमार्क
1049	0.290	0.060	म. प्र. शासन
1057	0.670	0.067	
1058	0.030	0.009	
1244	0.100	0.025	
1246	0.040	0.002	
1252	0.020	0.003	
1263	1.110	0.041	
योग	2.260 हे.	0.207 हे.	
निजी भूमि	2.260 हे.	0.207 हे.	
शास. भूमि	-	-	
महायोग	2.260 हे.	0.207 हे.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 के अन्तर्गत बुढ़गौना माइनर नं. 1 की सबमाइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1811-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.032 हे. (छूटा हुआ रकबा)

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में) (1) (2)	अर्जित रकबा (हे. में) (3) (4)	रिमार्क
736	1.46	0.032	छूटा हुआ रकबा
योग	1.46 हे.	0.032 हे.	
निजी भूमि	1.46 हे.	0.032 हे.	
शास. भूमि	-	-	
महायोग	1.46 हे.	0.032 हे.	

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के पड़खुरी पवाई अन्तर्गत तिवरियान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1813-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.019 हे. (छूटा हुआ रकबा)

खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा	रिमार्क
नम्बर	(हे. में)	(हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)
177	0.54	0.019	छूटा हुआ रकबा
योग	0.54 हे.	0.019 हे.	
निजी भूमि	0.54 हे.	0.019 हे.	
शास. भूमि	-	-	
महायोग	0.54 हे.	0.019 हे.	

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के पड़खुरी पवाई अन्तर्गत मत्हैयान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1821-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—कोटर
 (ग) नगर/ग्राम—बरा पैपखार कोठार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.262 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
167	0.064
330	0.040
455	0.016
448	0.096
456	0.004
457	0.004
458	0.048
योग . .	0.262

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1824-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—कोटर

- (ग) नगर/ग्राम—देवरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.379 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
68	0.024
688/6	0.063
647	0.165
114/3	0.027
477	0.100
योग . .	<u>0.379</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1827—भू—अर्जन—12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—कोटर
 (ग) नगर/ग्राम—महदेवा पैपखार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.188 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
321	0.088
345	0.096
9	0.004
योग . .	<u>0.188</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1829—भू—अर्जन—12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—कोटर
 (ग) नगर/ग्राम—अबेर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.090 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
267	0.090
योग . .	<u>0.090</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1831—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाधेलान
- (ग) नगर/ग्राम—घुघुचिहाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.026 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

107	0.028
106	0.0096
103	0.188
906	0.068
102	0.0256
100	0.13
101	0.032
218	0.02
21	0.0048
909	0.104
220	0.408
221	0.008
योग . .	<u>1.026</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. 1833-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) नगर/ग्राम—बुडवा पैपखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — 0.032 हे.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
301/6	0.032
योग . .	<u>0.032</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की आलमगंज वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्र. 1852-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(अ) निजी भूमि का विवरण**

(1) भूमि का वर्णन—	582	0.01
(क) जिला—सीधी	583	0.02
(ख) तहसील—चुरहट	584	0.01
(ग) नगर/ग्राम—मवई	585	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.030 है.		
खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
17	0.030	
योग . .	<u>0.030</u>	
		643
		0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	योग . .	<u>0.18</u>

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1854-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण**

महायोग (अ+ब)	<u>निरंक</u>
	<u>0.18</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की होदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) नगर/ग्राम—डिहुली टीकर नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.18 है।

क्र. 1850-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) नगर/ग्राम—डिहुली टीकर नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.10 हे.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

531	0.02
532	0.02
533	0.03
534	0.01
535	0.02
योग . .	<u>0.10</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक	
महायोग (अ+ब)	<u>0.10</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 2 अगस्त 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-12-13-धू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः धू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—विदिशा
- (ग) ग्राम—सुलतनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.379 हेक्टर.

सर्वे	रकबा
क्र.	(हे. में)
(1)	(2)

188/2	0.150
188/1	0.114
133/2	0.070
14/2/2	0.045
कुल योग . .	<u>0.379</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—समाट अशोक सागर परियोजना अन्तर्गत पीपलखेड़ा नहर की लघु नहर क्र. एल.एम. 7 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी विदिशा एवं कार्यपालन यंत्री, समाट अशोक सागर सं. क्र. 2 विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 22nd July 2013

No .841-Confdl.-2013-II-3-1-2013.—Judicial Officers' Training and Research Institute, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting **Induction Training (FIRST PHASE)** for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from **13-8-2013 to 7-9-2013** in the Institute. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by **9.30 a.m.** on **13-8-2013** in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court.
5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. to 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur, One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival. The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may

inform the Institute on telephone No. 0761—2628679, at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicle.

7. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्र. C-5635-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5638-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्द्र वीर कौर कान्दा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 से 29 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में

दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-5640-दो-3-51-2003.—श्री के.सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के.सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5642-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 10 से 11 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. C-5645-दो-3-47-2006.—श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 20 से 24 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5647-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 10 से 15 जून 2013 तक छः दिवस के ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 19 जून 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
क्षी. बी. सिंह, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्र. D-3132-दो-2-24-2008.—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 5 से 8 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अगस्त 2013 एवं पश्चात् में 9, 10 एवं 11 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. D-3207-दो-3-66-2007.—श्री अजय पवार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (पी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (पी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (पी.) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
क्षी. बी. सिंह, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्र. 844-Confdl.-2013-दो-2-21-63-(Part-VI).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रूपये 70290—1540—76450 में नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर।	1-6-2012	रिक्त पद पर।
2	श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी।	1-6-2012	श्री महेश प्रसाद अवस्थी, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर।
3	श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी।	1-7-2012	रिक्त पद पर।
4.	श्रीमती नरिन्दर बीर कौर कान्दा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़।	19-10-2012	नवीन रिक्त पद पर।
5	श्री राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ।	19-10-2012	नवीन रिक्त पद पर।
6	श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी।	1-1-2013	रिक्त पद पर।
7	श्री वीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मुख्यालय नई दिल्ली।	15-1-2013	रिक्त पद पर।

(1)	(2)	(3)	(4)
8	श्री अब्दुल जब्बार खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.	15-1-2013	श्री वीरेन्द्र सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
9	श्री सुनील कुमार अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	15-1-2013	रिक्त पद पर.
10	श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रेजिस्ट्रार (I.L.R & Examination) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	1-3-2013	नवीन रिक्त पद पर.
11	श्री गिरिराज किशोर शर्मा, रेजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिवेषण आयोग, भोपाल.	1-3-2013	श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
12	श्री जगदीश प्रसाद महेश्वरी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	1-3-2013	श्री गिरिराज किशोर शर्मा, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
13	श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.	1-3-2013	श्री जे. पी. महेश्वरी, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
14	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.	1-3-2013	नवीन रिक्त पद पर.
15	श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.	1-3-2013	नवीन रिक्त पद पर.
16	श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	1-3-2013	नवीन रिक्त पद पर.
17	श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी.	1-3-2013	नवीन रिक्त पद पर.
18	श्री विमल कुमार जैन सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	1-3-2013	रिक्त पद पर.
19	श्री हरि शंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.	1-4-2013	रिक्त पद पर.
20	श्री प्रह्लाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.	1-4-2013	रिक्त पद पर.
21	श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय, बैड़न.	1-5-2013	रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. 860-गोपनीय-2013-दो-2-10-62.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त अधिकारी को, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित राज्य शासन के आदेश फा. क्रमांक 3(ए) 20-2000-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 23 जुलाई 2013 के द्वारा अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2004 से दिनांक 30-11-2007 के लिये विशेष रूप से स्वीकृत जिला जज चयन ग्रेड के सांख्येतर पद पर नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	1-4-2004 से 30-11-2007	श्री जी.एस. ठाकुर को जिला जज (चयन ग्रेड स्तर) प्रदान करने के लिये उक्त अवधि हेतु सृजित जिला जज (चयन ग्रेड स्तर) के एक सांख्येतर (Supernumerary Post) पद पर.

टिप्पणी.—उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 6532-2000(जी.एस. ठाकुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. (सिविल) 18537-2012 में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2012 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

क्र. 862-गोपनीय-2013-दो-2-33-57 (भाग-11).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजीव कृष्ण जोशी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्रीमती शशिकिरण दुबे के सेवानिवृत्ति दिनांक 31-7-2013 के उपरांत से.

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 874-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती पूनम डामेचा (ट्रेनी जज).	बड़वानी	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज), की हैसियत से.

टिप्पणी.—श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 बड़वानी, के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), बड़वानी का स्थानांतरण, उनके स्वयं के व्यय पर, विचारोपरांत किया गया है। इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.